पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

सितंबर 2024

राजभाषा विशेषांक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)
राजभाषा विभाग

गौरव के क्षण

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में 22-23 अगस्त, 2024 को चंडीगढ़ में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ बीमा कंपनियों तथा विनियामकों के लिए दो दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी सह समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बैंक को वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए 'क' क्षेत्र के अंतर्गत 'द्वितीय पुरस्कार' प्रदान किया गया। यह पुरस्कार श्री जगजीत सिंह, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग के कर कमलों से बैंक के मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर तथा मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री निखिल शर्मा ने प्राप्त किया।

कार्यक्रम के दौरान बैंक की हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' के जून-2024 अंक का विमोचन किया गया। साथ ही बैंक में हो रहे राजभाषा कार्यों पर प्रस्तुति भी दी गई।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

बैंक हाउस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

सितंबर 2024

मुख्य संरक्षक

श्री स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक

श्री रवि मेहरा
कार्यपालक निदेशक

श्री राजीवा
कार्यपालक निदेशक

मुख्य संपादक

श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक व प्रकाशक

श्री निखिल शर्मा
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
श्रीमती भारती, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री बिभाष कुमार, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री रूप कुमार, राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : ho.rajbhasha@psb.co.in

पंजीकरण संख्या : एफ.2 (25) प्रैस.91

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपीराइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटर्स
ए 33/2, साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
दूरभाष संख्या 98112-69844

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का संदेश	4-5
5.	भाषा उत्सव और राष्ट्रीय अस्मिता	6-8
6.	कार्यपालक निदेशक महोदय का आगमन	9
7.	चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	10-13
8.	हिंदी पखवाड़ा 2024	14-15
9.	वित्तीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग	16-18
10.	हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं	19-21
11.	हिंदी माह 2024	22-23
12.	हिंदी का ऐतिहासिक विमर्श	24-27
13.	काव्य-मंजूषा	28-29
14.	हिंदी कार्यशाला	30-31
15.	प्रेम गली अति सांकरी	32-34
16.	विशेष उपलब्धियाँ	35
17.	बैंकिंग और राजभाषा	36-39
18.	राजभाषा उपलब्धियाँ	40-41
19.	मूल तमिल लेख और उसका हिंदी अनुवाद	42-44

आपकी कलम से

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य)
निर्माण सदन 52 ए अरेरा हिल्स, कमरा नं0 206 दूरभाष एवं फैक्स 0755 - 314 77 63

आपके प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित तिमाही हिंदी पत्रिका " राजभाषा अंकुर " का "अंक - जून, 2024 " इस कार्यालय को प्रेषित करने के लिए मेरी ओर से कृपया धन्यवाद स्वीकार करें । इस अंक में विशेष रूप से "सफलता के सोपान", "वित्तीय समावेशन और भारतीय भाषाएं", "अजगैबीनाथ- सुल्तानगंज से देवघर बैद्यनाथ धाम की यात्रा" एवं "ऋण निगरानी प्रबंधन" उत्कृष्ट लेख हैं । साथ ही, "बैंकर", "मेरा घर", "विपश्यना" एवं "वर्तमान समय में सोशल मीडिया" निश्चित रूप से प्रेरणादायक हैं । पत्रिका में प्रकाशित अन्य लेख भी काफी रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक है । इस अंक में सचित्र महत्वपूर्ण जानकारियां उत्कृष्ट लगी । इस अंक में आपके प्रतिष्ठान की संक्षिप्त किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी समाहित की गई है । पत्रिका के आवरण पृष्ठ एवं सभी चित्रमय सूचनात्मक गतिविधियां भी अत्यंत आकर्षक हैं । इस पत्रिका का संपादन निश्चित रूप से सराहनीय है ।

मैं, संपादक समिति को बहुत - बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि इसी तरह आपके कुशल नेतृत्व में नई - नई विधाओं के अंक आपके प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते रहेंगे । निश्चित रूप से यह अंक संग्रहणीय है । पत्रिका के संपादक मण्डल को "हार्दिक बधाई" ।

भ व दी य,

26.9.24

(हरीश सिंह चौहान)
सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) एवं कार्यालयाध्यक्ष

तिमाही हिंदी पत्रिका "राजभाषा अंकुर" के जून, 2024 अंक की प्राप्ति पर मन हर्षित हुआ। स्वयं में विविध विषयों को समेटे हुई पत्रिका लगातार उन्नति की ओर उन्मुख है। महाप्रबंधक महोदय श्री गोपाल कृष्ण जी का लेख "ऋण निगरानी प्रबंधन को मजबूत बनाने की आवश्यकता क्यों?" काफी ज्ञानवर्धक लगा। बैंकिंग और हिंदी के संबंधों पर आधारित कई ज्ञानवर्धक लेख पत्रिका को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हैं। काव्य-मंजूषा स्तंभ में प्रकाशित कविताएं जैसे – बैंकर, मेरा घर, जिंदगी तो माँ जैसी होनी चाहिए इत्यादि विभिन्न आयामों से परिचय कराती है।

उत्कृष्ट लेखन-सामग्री और आकर्षक साज-सज्जा के लिए संपादक मंडल को शुभकामनाएं।

-अनिल कुमार
आंचलिक प्रबंधक पंचकूला

संपादकीय

प्रिय पाठको,

आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। राजभाषा से जुड़े पदाधिकारियों के लिए सितंबर माह विशेष होता है क्योंकि सितंबर माह में हिंदी माह/ पखवाड़ा के अंतर्गत विविध गतिविधियों के माध्यम से कार्यालय के प्रत्येक कार्मिक को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। बैंक के समस्त आंचलिक कार्यालयों में इस वर्ष भी उत्साहपूर्वक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया जबकि प्रधान कार्यालय में हिंदी माह मनाया गया। इस दौरान बैंकों में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में नवाचार का प्रयोग करते हुए अनेक प्रतियोगिताएं ऑन-लाइन आयोजित की गई। तकनीक के कारण कार्यक्रम की पहुंच व्यापक हुई है और मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किया जा सका है।

हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुए 75 वर्ष हो गए हैं। तब से लेकर आज तक राजभाषा हिंदी ने अनेक आयाम स्थापित किए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात देश को राजभाषा के रूप में एक ऐसे भाषा की आवश्यकता थी जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत भू-भाग की प्रतिनिधि भाषा बन सके, जिसमें देश का नेतृत्व करने की क्षमता अंतर्निहित हो। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपने लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति में असफल रहा जिसका एक कारण संपर्क भाषा का अभाव भी था और वर्ष 1947 में देश की स्वतंत्रता में हिंदी भाषा का योगदान अतुलनीय था। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय विचारधारा, हिंदी के माध्यम से प्रवाहित हुई, जितने भी नारा मुखाग्र हुए, सभी हिंदी भाषा में ही रचे-गढ़े गए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि **स्वराज के लिए स्वभाषा की कितनी आवश्यकता है?** आज यदि हिंदी, राजभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा, जनभाषा व संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है तो इसका कारण उसकी सर्वग्राह्यता है। जहाँ एक ओर विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं से शब्द ग्रहण करके हिंदी के शब्द-भंडार में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर इससे प्रादेशिक भाषाओं की संस्कृति, राष्ट्रीय स्तर पर मुखरित हुई है।

देश की राजभाषा हिंदी अब वैश्विक भाषा बनने की ओर अग्रसर है। विश्व के अनेक देशों में हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था उपलब्ध है। विदेशों से बहुतायात में हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देशों से छात्र, हिंदी सीखने के लिए भारत आ रहे हैं। देश के प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय मंचों से हिंदी में ही संबोधन कर रहे हैं जिससे देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों में आत्म-स्वाभिमान का भाव मुखर हुआ है।

पत्रिका का यह अंक **"राजभाषा विशेषांक"** के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का हिंदी दिवस के अवसर पर जारी संदेश को विशेष रूप से इसमें स्थान दिया गया है। आप सभी की प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हो रही है तथापि आपसे पुनः अनुरोध कि पत्रिका पर अपना स्नेह बनाएं रखें। यदि इसमें किसी प्रकार के परिवर्धन की आवश्यकता हो तो हमें अवगत कराएं।

(गजराज देवी सिंह ठाकुर)
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो!

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

इस वर्ष का हिंदी दिवस समारोह विशेष है, क्योंकि 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग द्वारा इसे 'राजभाषा हीरक जयंती' के रूप में मनाया जा रहा है।

भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पुरातन सभ्यता और भाषिक विविधता के लिए दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं ने हमारी अतुलनीय सांस्कृतिक विविधता को आगे बढ़ाने और देशवासियों को भारतीयता के अटूट सूत्र में पिरोने का काम किया है। अतः हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को भारतीय अस्मिता का प्रतीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर विशेष बल दिया गया था। हिंदी ने तब से लेकर आज तक, देश की विविधता में एकता स्थापित करने और सामूहिक सद्भावना को सुदृढ़ करने का महती कार्य किया है। हिंदी की इसी शक्ति के कारण उन दिनों हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वालों में लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, राजगोपालाचारी एवं अन्य गैर-हिंदीभाषी महानुभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आजादी के बाद हिंदी की इसी सर्वसमावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रमुख भारतीय भाषाओं को स्थान दिया।

हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसमें आपको देश की कई भाषाओं के तत्व मिल जाएँगे। इसका इतिहास लिखने वालों ने तो रासो ग्रंथों, सिद्धों-नाथों की वाणियों से लेकर भक्तिकाल के संत कवियों और खड़ी बोली तक इसकी परम्परा को माना है। कवि चंदबरदाई से लेकर महाकवि विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, आंडाल, गुरू नानकदेव जी, संत रैदास, कबीरदास जी से लेकर आज तक कई साहित्यकारों व भाषाविदों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विकास में उन असंख्य लोकभाषाकारों का भी अमूल्य योगदान है, जो गायन-वादन के द्वारा इस भाषा के आदिरूपों को जन-जन तक पहुँचाते रहे। हिंदी भाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी, मेवाती, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कुँमाउनी, गढ़वाली जैसी मातृभाषाओं के समन्वित रूप से ही तो बनी है। मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा इन मातृभाषाओं को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ रही है और लगातार विकसित हो

रही है। आज जब राजभाषा के रूप में हिंदी अपनी 75वीं वर्षगाँठ पूरी कर रही है, तब हमें इसका यह इतिहास जरूर याद रखना चाहिए।

14 सितंबर, 1949 से लेकर लगातार राजभाषा के रूप में हिंदी के संवर्धन के अनेक काम हुए हैं। राजभाषा विभाग की विशाल यात्रा को पीछे मुड़ कर देखें, तो हमें कई महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाई देते हैं, जहाँ इस विभाग ने जिम्मेदारीपूर्वक सरकारी तंत्र को भाषिक चेतना के प्रति प्रेरित किया है।

साल 1977 में श्रद्धेय **अटल बिहरी वाजपेयी जी** ने तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित कर राजभाषा का मान बढ़ाया। माननीय **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी** जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा में संबोधन देते हैं और भारतीय भाषाओं के उद्धरण देते हैं, तो समूचे देश में अपनी भाषा के प्रति गौरव के भाव को और बल मिलता है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने राजभाषा को और भी समृद्ध व सक्षम बनाने के हर संभव कार्य किए हैं। 2018 में अनुवाद टूल कंठस्थ का लोकार्पण हो, 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने की अनुशंसा हो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधेयक पारित करना हो, 2022 में हिंदी दिवस पर कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण हो या साल 2021 से हर साल हिंदी दिवस पर 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' आयोजित करना हो, सरकार राजभाषा व भारतीय भाषाओं के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही, संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का 12वाँ खंड भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है।

राजभाषा में कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु हमने साल 2022 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना भी शुरू की है जिसके तहत ज्ञान-विज्ञान, अपराध शास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर एवं विधि के क्षेत्र में राजभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही, राजभाषा विभाग ने डिजिटल शब्दकोश 'हिंदी शब्द सिंधु' का निर्माण भी किया है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन-जन तक संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जनभाषा के बीच की दूरी को पाटें, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचित भी हो और लाभान्वित भी। इस तरह 'आत्मनिर्भर भारत' व 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी भारतीय भाषाओं की सशक्त भूमिका रहने वाली है।

मुझे विश्वास है कि हिंदी दिवस एवं राजभाषा हीरक जयंती समारोह, मातृभाषाओं के प्रति राजभाषा विभाग की प्रतिबद्धता को और भी ऊँचाई देने का सार्थक माध्यम बनेगा। मैं राजभाषा विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

वंदे मातरम!

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2024

(अमित शाह)

भाषा उत्सव और राष्ट्रीय अस्मिता

तनय वर्मा

पूरे एक वर्ष के बाद फिर अवसर आया है जब अपनी भाषा के प्रचार के लिए हम संकल्प करेंगे, अपनी जबान के लिए भाँति-भाँति के आयोजन के द्वारा यह स्थापित करने की चेष्टा होगी कि हम हिंदी से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और फिर कानून की पोथी खोल कर यह भी बताएंगे कि यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि अपनी मातृभाषा या फिर राजभाषा का प्रचार करें। सब हिंदी में काम करें, हिंदी सशक्त भाषा है इत्यादि-इत्यादि। अधिकांश लोग तो इस आयोजन में भाग लेकर, कुछ भाषण देकर तो कुछ हिदायत देकर मान लेंगे कि हिंदी के प्रति हमारी निष्ठा की इति हो गई। जो नहीं होगा, वह फिर से अपनी दुनिया में लौट जाएंगे, जहाँ अंग्रेजी में लिख कर, बातचीत कर अपने आपको शिष्ट मानते हुए गर्व से सर उठा कर चलेंगे। सच तो यह है कि ये संभ्रांत और आभिजात्य वर्ग तो यह मान कर बैठा है कि अगर अंग्रेजी का प्रयोग न किया जाए तो कुलीनता पर आघात होगा। बड़े-बड़े लोगों के बीच कितनी शर्म की बात होगी कि अंग्रेजी नहीं आती। किसी ने अपने देश में ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो इसलिए शर्मसार हो कि उसे हिंदी नहीं आती, शायद नहीं। इस लेख में तल्ख का यही कारण है कि जिस भाषा को हमारे मनीषियों ने "उन्नति का मूल" बताया है, उसके प्रति इतना भाव तो अवश्य हो कि उसके प्रयोग में गर्व और अपनी भाषा के अज्ञान पर लज्जा तो आए।

हम राष्ट्रवादी हैं, अपने ध्वज के लिए बलिदान को तैयार हैं, राष्ट्रगान की ध्वनि से ही सावधान हो जाते हैं और साबित कर देते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। हमें गर्व है अपनी चीजों पर, संस्कृति पर लेकिन हिंदी के प्रयोग के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए दुःख व्यक्त करेंगे कि हिंदी में पठनीय सामग्री की कमी है या फिर तकनीक की गाड़ी पर सवार दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा अथवा कदमताल के लिए विज्ञान के क्षेत्र में पुस्तकों की कमी है। अब यह सत्य कौन नकार सकता है कि प्राचीन भारत के गणितज्ञ, खगोलविद, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने

संस्कृत के श्लोक में सारी जानकारी प्रस्तुत कर दी है जिससे इतना तो प्रमाणित हो ही जाता है कि भाषा, विज्ञान के ज्ञान के लिए अवरोध नहीं है। हाँ, हमारा अल्पज्ञान या फिर झिझक जरूर इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह मान्य है कि समय के साथ तकनीक की विषय-वस्तु, प्रकार आदि बदल जाते हैं और चूंकि तकनीक के नवाचार के क्षेत्र में अधिक शोध ऐसे देशों में हुई है जहाँ अपनी भाषा का चलन नहीं है। ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के लिए उत्तम कोशिश, शोध कार्य और विशिष्ट प्रतिमान बनाए गए हैं और उन्होंने यह सब अपनी भाषा में किया है जिसका अंग्रेजी अनुवाद हमारे लिए पाठ्य बनकर प्रस्तुत होता है। क्या यह अनुवाद हम अपनी हिंदी में नहीं कर सकते और देश-विदेश के तकनीक को बेहतर ढंग से आत्मसात कर सकते क्योंकि आप जितने भी बड़े अंग्रेजी के ज्ञानी हों, भाषा की स्थानीयता पर आधारित ज्ञान परंपरा को उसी स्वरूप में समझ लेना तो शायद हो सकता है परंतु किसी को समझा देना बहुत कठिन होगा।

संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिसका क्रियान्वयन राष्ट्र की प्रगति और समय के साथ स्थिति के अनुसार किया जाना है। संविधान निर्माता यह मानते थे कि आजादी के तुरंत बाद यदि किसी प्रावधान के क्रियान्वयन में कोई समस्या हो तो अनुकूल वातावरण बनाया

जाए और फिर लागू किया जाए। इसीलिए हिंदी भाषा के पैरोकारों ने ऐसे तंत्र विकसित किए जो अनुकूल वातावरण की सृष्टि करें। जैसे कि राजभाषा समितियां और कानून के माध्यम से व्यवस्था बनाते रहे ताकि भारतीय, राजभाषा के प्रयोग से भारत की राष्ट्रीय अस्मिता जुड़ जाए और हिंदी भी जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, समस्त भारत में स्वाभाविक भाषा बन जाए।

समय की मांग है कि हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में सार्वभौमिक मान्यता के लिए हिंदी सेवी का प्रयास हो और इसका आरंभ परिवार की इकाई से होगा। कहते हैं व्यक्ति की प्राथमिक पाठशाला परिवार है और अगर भारत के अधिकांश परिवार अंग्रेजियत के मनोभाव से मुक्त होकर बच्चों में अपनी भाषा के लिए आग्रह पैदा करें तो हिंदी के प्रयोग के लिए कानून का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। यह तभी होगा जब हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाए ताकि लोग-बाग आश्वस्त होकर अपने बच्चों के भविष्य को अंग्रेजी की जगह हिंदी के प्रयोग से भी सुरक्षित समझें।

वर्ष 1883 में एक विश्व कप जीतकर भारत में क्रिकेट का बोलबाला हो गया और अंतरराष्ट्रीय सफलता किस प्रकार मनोविज्ञान को प्रभावित करता है, उसका यह प्रमाण भी है। तीसरे, हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी सीखने-सिखाने के लिए एक उत्साह होना चाहिए जो विद्यालय के स्तर पर होना चाहिए। भारत में अंग्रेजी विद्यालय, विशेषकर निजी विद्यालयों में, को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है और वहां हिंदी सिखाने के लिए जो अन्यमनस्क दृष्टिकोण है, किसी से छिपा नहीं है। अगर नींव को ही कमजोर कर दिया जाए तो इमारत में मरम्मत का काम सतत चलता रहेगा और वही कोशिश हमारी हिंदी के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा है।

मध्यकालीन युग में फारसी और औपनिवेशिक युग में अंग्रेजी का बोलबाला रहा। सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी की जानकारी आवश्यक बन गई और आजादी के बाद भी यही स्थिति बनी रही और इसी का परिणाम है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदी एक अनिवार्यता के रूप में स्थापित नहीं हो सकी। ऐसा भी नहीं है कि हिंदी के जानकार और लेखक कम हुए लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर गिनती की जाए तो यह संख्या हतोत्साहित करती है। इधर विगत दो तीन वर्षों में सरकार के प्रयास या फिर हिंदी के अनुरागियों की भूमिका या स्वयं स्फूर्त प्रेरणा से विभिन्न विज्ञान संस्थानों में हिंदी में आयोजित की जाने वाली संगोष्ठी से सकारात्मक वातावरण तो बना है पर अभी प्रयासों को और तेज व विस्तारित करने की आवश्यकता है ताकि आम लोग हिंदी में ही अपने भविष्य के लिए संभावना देखें। यह तब संभव होगा जब सितंबर माह के अतिरिक्त वर्ष पर्यन्त प्रयास चले, समीक्षा अर्थपूर्ण हो और सही दिशा में मार्गदर्शन मिले। भाषा विज्ञान स्वभाव से कोमल अनुभूतियों का वाहक होता है लेकिन आवश्यकता के अनुसार दंड के प्रावधान से एक संदेश जाता है कि हिंदी का उपयोग कार्य-प्रणाली का अहम हिस्सा है और फिर प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी की जानकारी का भी प्रश्न-पत्र हो, जैसे अंग्रेजी का होता रहा है या है जिससे हिंदी सीखने और प्रयोग की प्रवृत्ति को बल मिले।

एक पुरज़ोर तर्क दिया जाता है कि हिंदी उत्तर भारत की मातृभाषा है और पूरब अथवा दक्षिण में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का बोलबाला है, वहां हिंदी को मान्यता नहीं है। ऐसा तर्क अपने आप में तर्कहीन है क्योंकि प्रथम, अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी उन तमाम क्षेत्रीय भाषा के निकट है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रीय भाषा के मूल में संस्कृत का योगदान है और हिंदी की जननी संस्कृत ही तो है। द्वितीय हिंदी ने अपने समावेशी स्वरूप से ही अपने आपकों समृद्ध किया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी शब्दों को समावेशन हिंदी की असली ताकत है और देशज स्वरूप में भारत की सभी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं और यह परंपरा अभी भी चल रही है। जब फ्रेंच भाषा तक के शब्दों ने अपना स्थान बना लिया है तो तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, असमी आदि भाषाओं के शब्द भी लाए जा सकते हैं। जरूरत है इस दिशा में सार्थक प्रयास की।

हिंदी के उन्नयन के विषय में किसी भी सार्थक प्रयास के लिए यह जान लेना अनिवार्य है कि अभी तक क्या प्रयास किया गया है। संविधान सभा में वाद-विवाद के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिल तो गई पर हिंदी भाषा के उन्नयन के लिए राजभाषा समिति का गठन किया गया जिसकी सिफारिशों के आधार पर राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्थापित हो गई लेकिन इन वैधानिक प्रयासों में अंग्रेजी के विस्थापन के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए। अंग्रेजी को सहचारी के रूप में प्रथम पंद्रह वर्षों के लिए रहने दिया गया।

औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के उपरांत व्यवस्था में हावी अंग्रेजी के प्रति यह दृष्टिकोण व्यावहारिक तो था पर इस व्यावहारिक कदम ने राजभाषा के रूप में मान्य भाषा के स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध भी किया क्योंकि अंग्रेजी की अहमियत बरकरार रही जिससे हिंदी सीखने समझने के लिए प्रेरणा कमोवेश शिथिल होने लगी। फिर उच्चस्थ न्यायिक व्यवस्था में तो हिंदी अस्वीकार्य ही रही। वहां हिंदी में आवेदन लिए तो जाते हैं पर अंग्रेजी अनुवाद के साथ। जाहिर है दो बार परिश्रम क्यों किया जाए, इसकी भावना के अनुरूप हिंदी का प्रयोग न्यायिक व्यवस्था में कामकाजी भाषा के रूप में स्थापित

नहीं हो सकी। दूसरे प्रयास के रूप में हिंदी का प्रचार-प्रसार, हिंदी दिवस समारोह, कार्यालय में हिंदी में कामकाज की समीक्षा आदि के माध्यम से सशक्तिकरण की कोशिश भी अधिकतर समारोह की शक्ल में ही रहा जो हिंदी को थोपे जाने जैसा लगता है। यह सही है कि अगर इन प्रचार समारोहों का भी आयोजन न हो तो उम्मीद की किरण भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इनका महत्व तो है।

आपके घर कोई अतिथि आता है, आप उनकी आवभगत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसे घर में अपना बना कर रख भी लेंगे। घर के लोगों का दिन रात सम्मान हो न हो, उनका घर पर अधिकार होता है। अब हम अपनी मातृभाषा या राजभाषा को अतिथियों वाला सम्मान देकर अपने कर्तव्य की इति मान लें या फिर घर के सदस्य की भांति उसे दुलार, पुचकार दें लेकिन हमेशा अपने लिए अपने पास रखें। यह निर्णय और इस प्रश्न के उत्तर में ही अपनी भाषा का हमारे लिए क्या महत्व है, का भाव छिपा है।

यह दीगर बात है कि जब तक किसी देश में अपनी भाषा पूरी शान-शौकत से स्थापित नहीं होती, दैनंदिन व्यवहार में नहीं लाई जाती, हमारे राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में एक व्यापक कमी दिखती रहेगी। राष्ट्रीय चरित्र हमारी संस्कृति, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्रीय हितों के लिए चेतना से निर्धारित होता है और भाषा, संस्कृति के प्रकटीकरण का ही माध्यम होता है, हमारे समर्पण का स्वरूप होता है और इसीलिए यह समझ लेना चाहिए कि जब तक हमारी अपनी भाषा को संकल्प के साथ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनाया नहीं जाएगा, हमारा राष्ट्रीय चरित्र अधूरा रहेगा तथा राष्ट्र निर्माण में एक खाली पन रह जाएगा। राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र के स्वरूप के गठन के लिए हिंदी का व्यापक प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

हिंदी दिवस का सबसे बड़ा संदेश है कि हिंदी को सम्मान से अधिक स्वीकार्यता की आवश्यकता है और इसके लिए एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों को बिना किसी उपालंभ के पूरी तरह से स्वीकार करने पर ही हमारा देश मजबूत होगा, विश्व में प्रतिष्ठा होगी। यथाश्रुत एक बार कोई भारतीय विद्वान विदेश में किसी उद्बोधन के लिए अंग्रेजी का उपयोग कर रहे थे। विषय गंभीर था, कथ्य भी रोचक था परंतु श्रोता धीरे-धीरे उठ कर बाहर जाने लगे, वक्ता को अटपटा लग रहा था। उद्बोधन के उपरांत जब वे बाहर निकले तो श्रोताओं ने उनसे कहा कि आपकी विद्वता, आपके विचार इतने सारगर्भित थे पर आप जैसे मनीषियों के रहते हुए आपका देश परतंत्र क्यों है। एक वजह तो साफ है कि आपने इतनी विद्वतापूर्ण बातें बताई पर अपनी भाषा में नहीं। आप बांग्ला या अपने देश की भाषा में बोलते तो विषय की रोचकता में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी पुट होता जो आपकी आज़ादी की लड़ाई को और धारदार बना देता। उन महापुरुष के लिए कुछ कहना, लेखन की क्षमता से बाहर है किंतु इतना अवश्य है कि एक देश का जातीय गौरव उसकी भाषा में नीहित होता है।

पिछले दिनों मध्य प्रदेश में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करने की व्यवस्था की गई। यह समाचार मात्र न होकर उद्घोषणा है कि हमारी हिंदी का स्वरूप आज किसी भी भाषाई चुनौती के लिए तत्पर है, चाहे कैसा विषय हो, कैसी शब्दावली हो हिंदी का समावेशी रूप की ग्रहणशीलता अद्वितीय है और किसी भाषा की समृद्धि की यही पहचान है। इसलिए मानना यह है कि हिंदी अब मात्र बोलचाल अथवा सरकारी कामकाज के लिए ही नहीं अपितु किसी भी ज्ञान-विज्ञान के प्रसार में सक्षम है। साहित्य के क्षेत्र में भी पुरातन कथा शैली के साथ अभिनव साहित्यिक शैली ने हिंदी को संसार की श्रेष्ठ भाषा के रूप में स्थापित कर दिया है। हम इस गौरव को आत्मसात करें और न भूलें कि

"जिसको न निज गौरव न देश का अभिमान है।
वह नर नहीं निरा पशु है और मृतक के समान है।।"

वरिष्ठ प्रबंधक
शाखा कीर्ति नगर, दिल्ली

कार्टून कोना

प्रदीप रॉय
सेवानिवृत मुख्य प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्वागत एवं अभिनंदन

श्री राजीवा जी ने 09 अगस्त, 2024 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक में अपनी पदोन्नति से पूर्व आप पंजाब नैशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। श्री राजीवा, कला में स्नातकोत्तर सहित बैंकिंग और वित्त में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर तथा भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

इन्होंने वर्ष 1993 में अपने बैंकिंग कैरियर की शुरूआत की थी। तीन दशकों से अधिक के कैरियर में श्री राजीवा को सभी प्रमुख बैंकिंग क्षेत्रों विशेषतः ग्रामीण तथा नगरीय शाखाओं में कार्य का अनुभव है। उन्हें क्रेडिट, विशेष रूप से कॉरपोरेट क्रेडिट में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने पीएनबी की विदेशी सहायक कंपनी पीएनबी (अंतरराष्ट्रीय) लिमिटेड का नेतृत्व भी किया है।

देवेन्द्र कुमार

राजभाषा हीरक जयंती वर्ष पर आयोजित

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन- 2024

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का यह कारवाँ इस वर्ष नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में पहुंच गया। जी-20 के बैठक के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम सुर्खियों में रहा। चूंकि विश्व के शीर्ष देशों की बैठक के मद्देनज़र भारत मंडपम को तैयार किया गया था इसलिए इसकी आंतरिक साज-सज्जा अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। बैठक स्थल को भव्य रूप देकर विश्व में भारत की छवि को उत्कृष्ट बनाने के प्रयास की परिणति का मूर्त रूप भारत मंडपम को माना जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की दृष्टि से तैयार किए गए इस स्थान पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन, देश में राजभाषा सम्मेलन को नई दिशा प्रदान करने वाला रहा। विश्वस्तरीय आयोजन स्थल पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की सामरिक, राजनितिक व आर्थिक सम्मेलनों के साथ उसकी समकक्षता स्थापित करता है।

लंबे समय से देश में ऐसे राजभाषा सम्मेलन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसके ध्वज तले देश के केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार का दायित्व संभाल रहे राजभाषा सेवक, एक साथ आश्रय पा सके। यह सम्मेलन किसी एक कार्यालय, विभाग, संस्था, संगठन, उपक्रम, बैंक या किसी एक मंत्रालय के कार्मिकों तक सीमित नहीं था। अनेक संस्थाएं अपने स्तर पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन करते हैं लेकिन उन सम्मेलनों में केवल उनकी संस्था के कार्मिक ही सहभागिता करते हैं और उनके विषय भी अपनी संस्था से संबंधित होते हैं जिनका अन्य किसी कार्यालयों से दूर-दूर तक संबंध नहीं होता।

प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से पूर्व हिंदी दिवस को वृहत स्तर पर देश के विभिन्न शहरों में आयोजित करने की संकल्पना की गई थी जिसे साकार करते हुए 13-14 नवंबर 2021 में बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

का आयोजन किया गया। यह पहला अवसर था जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके बाद द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, गुजरात राज्य के डायमंड सिटी सूरत में आयोजित की गई। 14-15 सितंबर, 2022 को सूरत में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मुख्य बात यह रही कि इसके साथ ही हिंदी दिवस समारोह का भी आयोजन किया गया, जो प्रत्येक वर्ष देश की राजधानी में आयोजित की जाती थी। हो सकता है लगातार एक ही जगह पर उसका आयोजन समय की मांग रही हो लेकिन जब संचार के साधन विस्तृत होने लगे तो सम्मेलन को मोबाइल रूप दिया गया। वर्ष 2022 से पूर्व 14 सितंबर को एक दिवसीय हिंदी दिवस समारोह, दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए जाते थे जिसमें केवल पुरस्कार प्राप्तकर्ता संगठनों के प्रमुख व राजभाषा प्रभारियों को आमंत्रित करने की विवशता होती थी और उसमें किसी प्रकार के व्याख्यान सत्र नहीं होते थे।

पूर्व में केंद्रीय कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाने की परंपरा रही लेकिन 14 सितंबर को वृहत रूप देने के उद्देश्य से वर्तमान में सभी केंद्रीय कार्यालयों के लिए हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर को आयोजित हिंदी दिवस समारोह से माना जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर हिंदी दिवस या पखवाड़ा या माह के शुरुआत की नई परंपरा वर्ष 2022 से आरंभ की गई है। आगे, वर्ष 2023 में पुणे भी में हिंदी दिवस के साथ-साथ तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजभाषा हीरक जयंती वर्ष में यह सम्मेलन देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच गया जहाँ से इसकी व्यापित अपेक्षाकृत अधिक हो सकती थी।

वर्ष 2021 में आरंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की यह प्रथा रही है कि इसमें एक स्मारिका भी प्रकाशित की जाती है। स्मारिका के लिए केंद्रीय कार्यालयों में पदस्थ कार्मिकों से लेख आमंत्रित किए जाते हैं और चयनित लेखों को स्मारिका में स्थान दिया जाता है। यह एक ऐसा मंच है जिसमें कार्मिकों को अपने संगठन से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर लेखन क्षमता प्रदर्शित करने का सुअवसर प्राप्त होता है, इसके साथ ही उन्हें गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। इन सम्मेलनों के लिए प्रत्येक वर्ष एक प्रतीक चिह्न तैयार कराया जाता है जो अधिकारियों की रचनात्मकता को प्रखर करती है। यदि मंत्रालय चाहे तो इसके लिए भी किसी विशेषज्ञ की सहायता ले सकती है लेकिन इस प्रकार का कार्य लोगों को सम्मेलन के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ती है। चयनित प्रतीक चिह्नों के सृजनकर्ता को मंच से प्रमाण-पत्र प्रदान करना उनके मनोबल में वृद्धि का कारक भी बनता है। प्रतीक चिह्न, आयोजन स्थल की संस्कृति का परिचायक होता है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित इन सम्मेलनों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कार्य करने वाली नियामक संस्थाएं यथा संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय हिंदी संस्थान, विभिन्न नराकास के अध्यक्ष, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधि, मंत्रालय के राजभाषा प्रभारी इत्यादि जो राजभाषा कार्यान्वयन में निर्णयन को प्रभावित करते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं।

वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्ष 2024 में राजभाषा के रूप में हिंदी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। राजभाषा हीरक जयंती वर्ष में 14-15 सितंबर, 2024 को चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया। ऐसे विद्वजन जिन्हें हम टेलीविज़न पर देखते-सुनते हैं, उनसे इस सम्मेलन में रू-ब-रू होने का अवसर मिला। राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले व्याख्याता, दक्षिण भारत में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयासरत स्वयं सेवी, केंद्रीय सरकार के मंत्री, हिंदी काव्य जगत के अग्रणी, भारतीय रंगमंच के सितारे और स्वयं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री इस सम्मेलन में अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित रहे। जब आमंत्रित वक्ता अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले हों तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके विचार राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उद्घाटन सत्र में राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब, दक्षिण भारत के हिंदी विद्वान प्रो. एम गोविंदराजन और प्रो. एस आर सर्राजु तथा हिंदी जगत के दो विशिष्ट विद्वान प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित और डॉ. हरिओम पंवार विशेष रूप उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने स्मारक डाक टिकट तथा स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही उनके कर कमलों के 'राजभाषा भारती' के हीरक जयंती विशेषांक/ स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया। इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग की शुरुआत रही। इसके अंतर्गत राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र की राजभाषा हिंदी से राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषाओं व इसके विपरित अनुवाद की व्यवस्था करना है। इसके लिए सी-डैक, पुणे द्वारा सौर्वभौमिक अनुवाद हेतु निःशुल्क सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की संभावना है। इसे राजभाषा से राजकीय भाषा के सफर के रूप में रेखांकित किया जा सकता है।

देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ करते हुए कहा कि "आज भारतीय भाषा अनुभाग का जो छोटा सा बीज लगाया गया है वह आगे वटवृक्ष बनकर भाषाओं को सुरक्षित रखने का कार्य करेगा। समस्त भारतीय भाषाएं परस्पर पूरक हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही नहीं उठता। हिंदी,

समस्त स्थानीय भाषाओं की सखी है और हिंदी का प्रचार-प्रसार तभी होगा जब प्रादेशिक भाषा मजबूत होंगी।" उन्होंने एक प्रसंग उदधृत करते हुए कहा कि "जब देश में लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा तब देश के अलग-अलग भागों में उनके विरुद्ध लड़ाई चली। महाराष्ट्र में वीर शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध लोहा लिया। एक बार शिवाजी से किसी ने पूछा कि आपके युद्ध का उद्देश्य क्या है तो शिवाजी ने कहा कि मेरे युद्ध के उद्देश्य में तीन चीजें स्वराज, स्वधर्म व स्वभाषा समाहित है जो व्यक्ति अपनी पीढ़ी को उक्त तीन चीजें नहीं दे सकता, वह अपनी पीढ़ी को गुलामी की जंजीरों में बाँध देता है।" माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। भारत भू-राजनैतिक देश नहीं है वरन भू-सांस्कृतिक देश है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो हिंदीतर प्रदेश से थे, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के भविष्य के लिए विदेशी भाषाओं की शरण में जाने के स्थान पर हिंदी व मातृभाषा की शरण में आने का आग्रह किया क्योंकि आने वाल समय भारत का है। सामाजिक स्वीकार्यता के साथ उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने की बात की। अंत में माननीय गृह मंत्री जी ने भारत के अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों के साथ मातृभाषा में बात करें तो हमारी भारतीय भाषाएं चिरकाल तक जीवित रहेंगी। आज हिंदी, संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन गई है और लगभग 10 से अधिक देशों की दूसरी आधिकारिक भाषा है।

वीर रस और राष्ट्रीय अस्मिता के कवि डॉ. हरिओम पंवार ने अपने संबोधन में कहा कि यदि हमें हिंदी के प्रचार-प्रसार में क्रांति चाहिए तो देश में न्यायधीश, हिंदी में निर्णय देना आरंभ करें। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उच्चतम न्यायालय में भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण की मान्यता नहीं है और वहाँ वकील हिंदी भाषा में दलील नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मंच से आग्रह किया कि इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके बाद मंच से संबोधित करने आए प्रो. सूर्यकांत दीक्षित ने मंचस्थ महानुभावों से भाषा बहुल राष्ट्र के लिए भाषा के स्वतंत्र मंत्रालय पर बल दिया। भाषा सौहार्द्र के लिए भारतीय भाषा विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की जिसमें भाषा तत्व पर चिंतन व अन्वेषण, दक्षिण भाषा व पूर्वोत्तर भाषा के अनुरक्षण पर विचार किया जाए। उन्होंने कतिपय किताबों में भाषा विवाद को उद्वेलित करने को आश्चर्यजनक बताते हुए उत्तर से दक्षिण तक इस प्रकार के आंदोलन चलाने की आवश्यकता को उद्धधृत किया जो भाषा वैमनस्य का दमन करे। लगभग 60 वर्ष पुरानी स्थापित परंपरा जिसके अंतर्गत भारत के समस्त राज्यों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने तक पुरानी व्यवस्था को चलायमान करने सी अनिश्चित तिथि को सावधि तिथि में बदलने का अनुरोध किया। प्रो. दीक्षित ने आगे कहा "वर्ष 1873 से संपर्क भाषा के रूप में स्थापित इस भाषा की अनुपस्थिति में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा। राजभाषा नियम 1976 में निर्धारित 'क', 'ख' व 'ग' क्षेत्र पर पुनर्विचार किया जाए और राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) को पुनर्निर्धारित किया जाए। अंग्रेजी की दास्ता से मुक्त करने के लिए भारत के समस्त राज्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए समय नियत किया जाए। सुनियोजित तरीके से हिंदी व उर्दू में विभेद किया जाना चिंता का विषय़ है, दोनों भाषाओं में केवल लिपि-भेद है और लिपि-भेद होने से भाषाएं अलग नहीं हो जाती। कामकाजी शब्दों का अलग कोष बनाया जाए जिसका अधिकाधिक प्रयोग राजकाज में हो। हिंदी में संक्षिप्ताक्षर कोष तैयार किया जाए। युवा पीढ़ी को राजभाषा हिंदी व क्षेत्रीय भाषा से जोड़ने के लिए इन भाषाओं के साथ रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। अंग्रेजी के शब्द जो दैनिक जीवन में आ गए हैं उनका हिंदीकरण किया जाए। प्रादेशिक भाषा के पैरोकारों को यह समझाने की आवश्यकता है कि राजभाषा हिंदी के बड़े कुल से जुड़कर ही प्रादेशिक भाषाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा।"

उद्घाटन सत्र के पश्चात विगत 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति विषय पर व्याख्यान देते हुए राज्यसभा सदस्य डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में अलग रहे कि उन्होंने हिंदी के तत्सम रूप की पैरवी करते हुए कहा कि यदि हम संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग करेंगे तो भारत की अन्य भाषाओं विशेषकर दक्षिण भारत की भाषाओं से जुड़ सकेंगे क्योंकि अधिकांश भारतीय भाषाओं का मूल संस्कृत ही है। अनेक संस्कृतनिष्ठ शब्दों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इन शब्दों का हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में प्रयोग समान अर्थों में ही होता है। आने वाला समय वॉइस टायपिंग का होने वाला है और इसमें वही भाषा सफल होंगी जिनकी वर्तनी में विविधता व उच्चारण में अधिक स्पष्टता है। इस दृष्टिकोण से भारतीय भाषाओं का भविष्य उज्ज्वल है। उनके व्याख्यान का एक पक्ष भाषाई शुचिता व नैतिकता भी रहा। प्रथम

दिवस के अंतिम सत्र में भारत की सांस्कृतिक विरासत और हिंदी विषय पर हिंदी जगत के लोकप्रिय कवि डॉ. कुमार विश्वास ने परिचर्चा के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कहा कि यदि आप किसी भाषा में कोई अद्वितीय रचना करें या आपके देश की छवि प्रभावित करने वाली हो तो दोनों ही स्थिति में आपकी भाषा का प्रचार-प्रसार होगा। एआई और तकनीक के समय में भाषाओं के जानकार के औचित्य पर उन्होंने कहा कि आप तकनीक का भोजन बनने के स्थान पर उसे प्रयोग में ले।

कार्यक्रम के अगले दिवस अर्थात 15 सितंबर, 2024 को भाषा शिक्षण में शब्दकोश की भूमिका एवं देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य, तकनीक के दौर में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का योगदान पर सत्रों के पश्चात भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर परिचर्चा के लिए माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, लेखक एवं कवि प्रो. संगीत रागी जैसे विद्वजनों को आमंत्रित किया गया था। दो दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम सत्र हिंदी भाषा के विकास के सशक्त माध्यम के रूप में भारतीय सिनेमा पर केंद्रित रहा, इस सत्र में परिचर्चा के लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और दूरदर्शन पर प्रसारित नाटक चाणक्य में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार श्री चंद्रप्रकाश द्विवेदी तथा सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर उपस्थित रहे।

दो दिवसीय इस चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिंदी के उत्तरोत्तर विकास के लिए इसके अलग-अलग पक्षों यथा शब्दावली, अनुवाद, साहित्य लेखन, तकनीक, प्रशासनिक इत्यादि पर चर्चा हुई। सम्मेलन में अपने क्षेत्र के बड़े हस्ताक्षरकर्ताओं नाम द्वारा शिरकत करना उसकी वैभवता, परिपूर्णता व आने वाले समय में उसकी सफलता की गारंटी के परिचायक है। राजभाषा हीरक जयंती वर्ष में राजभाषा सम्मेलन को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित करना सम्मेलन को भव्यता व दिव्यता प्रदान करता है। इतने विविधतापूर्ण देश में जहाँ संस्कृति, भाषा और बोलियों की अविछिन्न श्रृंखला प्रवाहित होती है, संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हिंदी को राजभाषा बनाना, लोकतांत्रिक देश में सामूहिक निर्णयन की दूरदर्शिता है। विशेषकर जब देश विभिन्न भाषा-भाषियों की गुलामी से बाहर निकलकर अपनी भाषा में अपना प्रशासनिक संगठन का मार्ग प्रशस्त करने की ओर अग्रसर होता है। उसके सामने यह चुनौती होती है कि एक ओर वह विदेशी भाषा में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों को स्वभाषा में तैयार अथवा अनुदित करे और दूसरी ओर देश की अन्य क्षेत्रीय भाषा व बोलियों को संरक्षित रखे। कुल मिलाकर इस सम्मेलन का मूल मंत्र हिंदी व प्रादेशिक भाषाओं का समन्वय रहा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 भी संघ को भारत की अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि व उसके प्रचार का दायित्व आबंटित करता है। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना भारतीय भाषा अनुभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति भी प्रारंभ हो चुकी है। इसके अंतर्गत हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के मध्य समन्वय को विस्तार देने की योजना पर कार्य करना है। संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था इसमें की जा रही है। गृह मंत्रालय-राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को अलग-अलग स्थानों पर आयोजित कराया जा रहा है। किसी सम्मेलन के आयोजन में निरंतर स्थान परिवर्तन कोई नया उदाहरण नहीं है। जी-20 बैठक, ओलंपिक खेल, विश्व फुटबाल टूर्नामेंट, विश्व कप क्रिकेट, विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे अनेक महत्वपूर्ण आयोजनों का स्थान निरंतर बदलता रहता है जिससे आयोजन को नई दिशा, विविधता, विशाल परिप्रेक्ष्य, सोच व सामवेश से परिपूर्ण किया जा सके। कोई भी नवाचार पहली बार में ही शत-प्रतिशत सफल हो, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता लेकिन निश्चित तौर पर समय के साथ-साथ उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है।

नवाचार का प्रयोग किसी भी शोध को बहुमुखी दिशा प्रदान करने और उसमें नवीन ऊर्जा के उत्प्रेरण में सहायक होता है। जैसे-जैसे आयोजन अपने अगले चरण में होता है तो पुराने अंक का विश्लेषण उसे परिपक्व और परिष्कृत करता है। इसमें भी यही सिद्धांत लागू होता है। सम्मेलन का सार्वभौमिक, समावेशी, सर्वग्राही और सुनियोजित आयोजन आने वाले समय में देश में राजभाषा क्रियान्वयन के लिए उत्प्रेरण का कार्य करता रहेगा। राजभाषा कार्यान्वयन में कभी-कभी इस प्रकार के संदेह या समस्याएं आती है जिसका निराकरण किसी निश्चित कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं हो पाता। यदि समस्या राष्ट्रीय स्तर की होगी तो उसका निराकरण भी राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा सम्मेलन का आयोजन अपने आप में महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के आयोजन से देश में राजभाषा कार्यान्वयन को गति तो मिली ही है, साथ में इसके लिए कार्यालयों में नियुक्त राजभाषा संर्वग के अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ऊर्जा का नया स्त्रोत बनकर सामने आया है।

-वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग

आंचलिक कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा 2024

आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़

आंचलिक कार्यालय होशियारपुर

आंचलिक कार्यालय चेन्नई

आंचलिक कार्यालय बरेली

आंचलिक कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा 2024

आंचलिक कार्यालय नोएडा

आंचलिक कार्यालय कोलकाता

आंचलिक कार्यालय भोपाल

आंचलिक कार्यालय लखनऊ

वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) का प्रयोग
- वर्तमान एवं भविष्य

अमित मोहन अस्थाना

वित्तीय प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर फिनटेक के रूप में जाना जाता है, जिसने वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने और सुव्यवस्थित करने के लिए तकनीकी नवाचार द्वारा वित्तीय उद्योग जगत में क्रांति ला दी है। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से लेकर ब्लॉकचैन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, फिनटेक हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। वित्तीय परामर्श फर्म मेकइन्सी के हाल में किए शोध से पता चलता है कि वर्ष 2023 से 2028 के बीच फिनटेक उद्योग के राजस्व में पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में तीन गुना तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। फिनटेक क्षेत्र, जो वर्तमान में वैश्विक वित्तीय सेवाओं के राजस्व का केवल 2% है, 2030 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक तक पहुँचने का अनुमान है। यह दुनिया भर में सभी बैंकिंग मूल्यांकन का लगभग 25% है। इसमें 42 % के साथ एशिया-प्रशांत, विशेष रूप से भारत, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया एक बड़ा बाज़ार होगा। फिनटेक क्रांति का वैश्विक बैंकिंग उद्योग जगत पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और भारतीय बैंकिंग उद्योग भी इसका अपवाद नहीं है। फिनटेक नवाचारों ने पारंपरिक वित्तीय सेवाओं को मौलिक रूप से बदल दिया है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, इसका वित्त के साथ अंतरसंबंध, बैंकिंग के डिलीवरी, पहुँच और अनुभव के तरीके को बदल रहा है। निओ बैंक का आगमन इसका एक उदाहरण है।

फिनटेक का वर्तमान परिदृश्य :

डिजिटल भुगतान और बैंकिंग : वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के मद्देनजर, भारत में डिजिटल भुगतान में तेजी से वृद्धि देखी गई, जिसने फिनटेक अपनाने के लिए मंच तैयार किया। फिनटेक ने व्यक्तियों के वित्त प्रबंधन के तरीके पर भी गहरा प्रभाव डाला है। अब मोबाइल वॉलेट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म, भारतीय वित्तीय पारस्थितिकी तंत्र के अभिन्न हिस्से बन गए है। साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं को भी व्यापक रूप से अपनाया गया है। संपर्क रहित भुगतान और

पियर-टू-पियर ट्रांसफर आम हो गया है जिसने सुविधा और पहुँच दोनों को आसान बना दिया है। अब पारंपरिक बैंकिंग विधियों पर निर्भरता कम होती दिखती है, साथ ही कैशलेस अर्थव्यवस्था की और सरकार के प्रयासों में फिनटेक समाधानों द्वारा विविध आबादी को वित्तीय रूप से समावेशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है।

ब्लॉकचैन और क्रिप्टोकरंसी : जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रिप्टोकरंसी पर सतर्क रुख बनाए रखा है, कई भारतीय बैंक सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन के लिए ब्लॉकचैन तकनीक द्वारा कार्यान्वयन की खोज कर रहे हैं। ब्लॉकचैन में प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने, धोखाधड़ी को कम करने और विभिन्न बैंकिंग कार्यों की दक्षता को बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरंसी की अंतर्निहित ब्लॉकचैन तकनीक ने पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को बाधित किया है, फिर भी विकेंद्रीकृत और सुरक्षित ब्लॉकचैन एक पारदर्शी और छेड़छाड़-रोधी लेनदेन सुनिश्चित कराता है तथा प्रारंभिक संदेहों के बाद भी क्रिप्टोकरन्सी को वैध निवेश विकल्प और विनिमय के कुछ मामलों में स्वीकृति मिल गई है।

रोबो-सलाहकार और स्वचालित ट्रैडिंग : भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने व्यक्तिगत और कुशल धन प्रबंधन सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रोबो-सलाहकार और स्वचालित ट्रैडिंग एल्गोरिथ्म को अपनाया है। कृत्रिम बुद्धिमता और मशीन लर्निंग के उपयोग ने इसे अगले स्तर पर ला दिया है। फिनटेक में यह प्रौद्योगिकी बाज़ार के रुझानों का विश्लेषण कर जोखिम का आकलन करती है और सटीकता व गति के साथ ट्रेंड को आंक सकती है। फिनटेक कंपनियां अब स्वचालित निवेश सलाह देने के लिए पारंपरिक बैंकों के साथ मिल कर काम रही हैं जिससे व्यापक वर्ग के लिए वित्त प्रबंधन सुलभ हो गया है।

इंश्योरटेक और जोखिम प्रबंधन : बीमा क्षेत्र में इंश्योरटेक समाधान, डेटा एनलिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता का लाभ उठा रहे हैं। उन्नत डेटा एनलिटिक्स और एआई, बीमाकर्ताओं को जोखिमों का अधिक सटीक आकलन, दावों का गतिशील व सुव्यवस्थित प्रसंस्करण और बेहतर ग्राहक अनुभव देने में मदद कर रहें हैं। वास्तविक समय डेटा संग्रह के लिए आईओटी उपकरणों का एकीकरण बेहतर जोखिम प्रबंधन, सटीक जोखिम मूल्यांकन, व्यक्तीकृत नीति पेशकश और त्वरित दावा प्रसंस्करण में सहायता करता है जिससे न केवल बीमा उद्योग को लाभ होता है बल्कि क्षेत्र के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को भी मजबूती मिलती है।

फिनटेक में भविष्य के रुझान :

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) : सीबीडीसी की अवधारणा ने अब गति पकड़ ली है क्योंकि केंद्रीय बैंक, अपनी डिजिटल मुद्रा जारी करने में पूर्ण प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय मुद्राओं के इन डिजिटल प्रतिनिधित्व का उद्देश्य, विनिमय का एक सुरक्षित और कुशल माध्यम प्रदान करना है तथा भौतिक नकदी पर निर्भरता को कम करके मौद्रिक नीति कार्यान्वयन को बढ़ाना है। भारत में भी सीबीडीसी की अवधारणा को रिजर्व बैंक, सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। भारतीय रुपये का डिजिटल प्रतिनिधित्व लेनदेन की दक्षता को बढ़ा सकता है और बैंकिंग से वंचित क्षेत्र को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करा सकता है। भारत में सीबीडीसी की सफलता फिनटेक के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

ओपन बैंकिंग और एपीआई एकीकरण : एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) एकीकरण के माध्यम से, वित्तीय संस्थान सुरक्षित रूप से डेटा साझा कर सकते हैं। इससे नए वित्तीय उत्पादों व सेवा का विकास होगा। ओपन बैंकिंग पहल अब गति पकड़ रही है और इससे पारंपरिक बैंकों और फिनटेक स्टार्टअप के बीच सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। अकाउंट अग्रिगेटर (एए) प्रणाली जैसे नियामक ढांचे की शुरुआत के साथ, बैंक एपीआई एकीकरण के माध्यम से ग्राहक डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करना शुरू कर रहे हैं। ओपन बैंकिंग की दिशा में इस कदम से नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे नए व बेहतर वित्तीय उत्पाद व सेवाएं आएंगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ता को लाभ होगा।

क्वांटम कंप्यूटिंग : जैसे-जैसे फिनटेक परिपक्व हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग को एकीकृत करने की संभावना क्षितिज पर है। चूंकि क्वांटम कंप्यूटिंग अभूतपूर्व गति से जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने का वादा करता है। अतएव, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों के इस्तेमाल में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। इसका समावेशन बैंकिंग परिदृश्य में फिनटेक की क्षमताओ को नए सिरे से परिभाषित करेगा ।

विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) : विकेंद्रीकृत वित्त, धीरे-धीरे ध्यान आकर्षित कर रहा है, इसका उदेश्य बिचौलियों के बिना वित्तीय प्रणालियों को बनाना है। अब ब्लॉकचैन आधारित प्लेटफॉर्म उभर रहें हैं जो विकेंद्रीकृत ऋण देने, उधार लेने, स्मार्ट अनुबंध और डिजिटल परिसंपतियों के व्यापार की सुविधा प्रदान करते हैं। डीईएफआई में बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधावाली आबादी को बिना पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के वित्त-सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है जो भारत में वित्तीय समावेशन के लिए परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करता है। वेब-3 जो एक ब्लॉकचैन-आधारित इंटरनेट संस्करण है, इस क्षेत्र में उपयोगकर्ता को नजदीक भविष्य में समग्र रूप से बेहतर अनुभव दिलाएगा।

उन्नत बायोमेट्रिक सुरक्षा : बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता तेजी से स्पष्ट हो गई है। जैसे-जैसे नए साइबर खतरे सामने आ रहे हैं, फिनटेक में मजबूत सुरक्षा उपायों के महत्व को कम करके नहीं आँका जा सकता है। चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग सहित भाषा व उच्चारण पहचान आदि उन्नत सुरक्षा उपायों के अधिक व्यापक होने का अनुमान है। ऐसे उपायों से न केवल वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा मजबूत होगी वरन डिजिटल बैंकिंग समाधान अपनाने में उपयोगकर्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा।

भविष्य की चुनौतियां और विचार :

नियामक ढांचे : फिनटेक का तेजी से विकास, नियामक निकायों के लिए तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने में चुनौतियां खड़ी कर रहा है। नवाचार को बढ़ावा और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के बीच संतुलन एक नाज़ुक काम है, फिर भी भारत का नियामक

वातावरण फिनटेक के प्रक्षेप पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उभरते फिनटेक परिदृश्य से जुड़े संभावित जोखिमों को संबोधित करते हुए एक उत्तरदायी व सुदृढ़ नियामक तंत्र की उपस्थिति आवश्यक है जो समयानुसार मजबूत किया जाता रहें। यह रेगुटेक की मदद से प्रभावी ढंग से संभव होगा।

गोपनीयता और डेटा सुरक्षा : भारत ही नहीं पूरे विश्व में वित्तीय सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण से डेटा गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। फिनटेक कंपनियों को संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास बनाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा, साथ ही नियामक अधिकारियों और वित्तीय संस्थानों को डेटा सुरक्षा मानकों को स्थापित करने में परस्पर सहयोग करते रहने की आवश्यकता होगी।

वित्तीय समावेशन और पहुँच : जबकि फिनटेक ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इसमे प्रौद्योगिकी तक पहुँच में असमानताओं को दूर करना सबसे आगे है। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फिनटेक समाधान, विविध जनसांख्यिकी के लिए सुलभ, अनुकूल और सुगम हो ।

तकनीकी अवसंरचना : फिनटेक के निरंतर विकास के लिए बुनियादी तकनीकी ढांचे की मापनीयता और मजबूती जरूरी है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांगों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और हाई स्पीड नेटवर्क जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश आवश्यक है, ताकि उपयोगकर्ताओं को निर्बाध सेवा-अनुभव सुनिश्चित कराया जा सके।

भारतीय बैंकिंग पर फिनटेक का प्रत्यक्ष व संभावित प्रभाव :

वित्तीय समावेशन : फिनटेक ने भारत में वित्तीय समावेशन को शक्तिशाली रूप से सहारा दिया है। वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण ने बैंकिंग सेवाओं को दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में प्रवेश संभव बना दिया है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य फिनटेक समाधान एक बड़े वर्ग को बिना पारंपरिक बैंकिंग उपस्थिति के औपचारिक वित्तीय प्रणाली में आत्मसात कर रहें है।

लागत दक्षता : फिनटेक समाधान बैंकों और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए लागत दक्षता में योगदान करते हैं। डिजिटल ऑन-बोर्डिंग और एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग जैसी स्वचालित प्रक्रियाएं, वित्तीय संस्थानों के लिए परिचालन लागत कम करती हैं, साथ ही उपयोगकर्ताओं को कम लेनदेन लागत व सेवा प्रदाताओं के बीच की प्रतिस्पर्धा से लाभ दिलाते है।

उन्नत ग्राहक अनुभव : प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने भारतीय बैंकिंग के ग्राहक अनुभव में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ग्राहक अनुकूल मोबाइल एप, चैटबॉक्स और व्यक्तीकृत रोबो सलाहकार जैसे फिनटेक नवाचरों ने बैंकिंग को ही नहीं बदला है अपितु ग्राहकों द्वारा अपने वित्त से बातचीत के तरीके को भी नया आयाम दे दिया है।

नौकरी विस्थापन और सृजन : फिनटेक समाधानों के द्वारा कुछ बैंकिंग प्रक्रियाओं के स्वचालित होने से पारंपरिक भूमिकाओं में नौकरी का विस्थापन संभव है। हालांकि, विकसित हो रहा फिनटेक परिदृश्य, डेटा एनलिटिक्स, साइबर सुरक्षा और सॉफ्टवेयर विकास आदि क्षेत्रों में नई नौकरी भूमिकाओं को पैदा कर रहा है परंतु इस बदलाव के अनुकूलन हेतु कार्यबल का कौशल उन्नयन आवश्यक है।

फिनटेक के अभी तक के युग में भुगतान ने नेतृत्व किया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में बी2बी (छोटे व्यवसायों की सेवा) और बी2बीएक्स (किसी भी उपयोगकर्ता के लिए बी2बी) अगले युग को रास्ता दिखाएगी। बी2बी सेवा प्रदान करने वाली फिनटेक फर्म और कंपनियों के पास पर्याप्त अवसर हैं क्योंकि दुनिया भर में छोटे और मध्यम (एसएमई) उद्योग की अनुमानित सालाना क्रेडिट जरूरत जो कि 5 ट्रिलियन डॉलर है, वह अभी पूरी नहीं हो पा रही है। उम्मीद यह भी है कि भारत में फिनटेक-शीत (Fintech winter) यदि होंगी तो छोटी-छोटी और पेटीएम जैसे नकारात्मक उदाहरण अपवाद ही रहेंगे। फिनटेक ने वित्तीय परिदृश्य को जैसे बदला है, उसने नवीन समाधान के साथ दक्षता, पहुँच और सुरक्षा को सुगम बना दिया है। बैंकिंग और इन्श्योरेन्स क्षेत्र में फिनटेक उल्लेखनीय गतिशीलता के साथ उभरी है। फिनटेक की वर्तमान स्थिति एक समयानुकूल विकसित होते उद्योग को दर्शाती है। आने वाले समय में, उभरती प्रौद्योगिकी का एकीकरण और नियामक ढांचे का स्वरूप, फिनटेक के भविष्य को आकार देगा जिससे यह निर्धारित व प्रभावित होगा होगा कि व्यक्ति और व्यवसाय वित्तीय सेवाओं से किस प्रकार परस्पर व्यवहार करेंगे। निष्कर्ष में, सभी के लिए एक स्थाई और समावेशित वित्तीय फिनटेक भविष्य सुनिश्चित कराने हेतु, नवाचार और जिम्मेदार शासन के बीच संतुलन ही समाधान होगा।

-मुख्य प्रबंधक
आंचलिक कार्यालय बरेली

अलीमुद्दीन सिद्दीकी

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं

भाषा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह हमारी विचारों और भावनाओं का एक माध्यम होती है जिससे हम अपने विचारों को अन्यों के साथ साझा करते हैं। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इन्हें भारतीय समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हिंदी एक भारतीय भाषा है जो भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती है। इसका विकास विभिन्न समयों में हुआ और यह भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। क्षेत्रीय भाषाएं भी भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती हैं और इनका महत्व भी अत्यधिक है। इन भाषाओं का विकास और प्रयोग भारत के भूगोल, जनसंख्या और सांस्कृतिक विविधता के साथ संबंधित है। भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। स्वभाषा हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन में लोकमान्य तिलक से लेकर महात्मा गाँधी व जवाहर लाल नेहरू तक ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि केवल हिंदी भाषा ही भारत की संपर्क भाषा बनने की क्षमता रखती है।

भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन-सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिंदी को ही जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। विगत वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में ही अभिभाषण दिया गया। विश्व हिंदी सचिवालय, विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रयासरत है। उम्मीद है कि हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो सकेगा।

हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा जन-आंदोलनों की भी भाषा रही है। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। हिंदी भाषा के विकास की जब भी बात आती है तो मुझे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की दो पंक्तियां याद आती हैं -

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

उपरोक्त पंक्तियों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को अपनी भाषा से कितना लगाव था। यदि हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले सौ सालों में हिंदी का बहुत प्रचार हुआ है और दिन-प्रतिदिन इसमें और तेजी आ रही है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना गया है।

क्षेत्रीय भाषाएं : क्षेत्रीय भाषा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उस भाषा के लिए किया जाता है जो बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। एक भाषा को क्षेत्रीय तब माना जाता है जब वह ज़्यादातर उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो बड़े पैमाने पर किसी राज्य या देश के एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्रीय भाषाएं किसी देश के विशिष्ट क्षेत्रों या क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। वे देश की आधिकारिक या राष्ट्रीय भाषाओं से भिन्न हैं और अक्सर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में संचार के लिए उपयोग की जाती हैं। क्षेत्रीय भाषाएं आधिकारिक भाषाओं की तुलना में शब्दावली, व्याकरण, उच्चारण और लेखन प्रणाली में भिन्न हो सकती हैं। ये भाषाएं स्थानीय संस्कृतियों, परंपराओं और पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत और अन्य एशियाई देशों में कई अध्ययन, अंग्रेजी माध्यम के बज़ाय हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम का उपयोग करके छात्रों के लिए सीखने के परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव का सुझाव देते हैं। विशेष रूप से विज्ञान और गणित में प्रदर्शन, अंग्रेजी की तुलना में अपनी हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाले छात्रों के बीच बेहतर पाया गया है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन के परिणामस्वरूप उच्च उपस्थिति, प्रेरणा और छात्रों के बीच बोलने के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के साथ सहज होने के कारण माता-पिता की भागीदारी और पढ़ाई हेतु समर्थन में सुधार होता है। कई शिक्षाविदों द्वारा प्रमुख इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों में ड्रॉपआउट दरों के साथ-साथ कुछ छात्रों के खराब प्रदर्शन के लिए अंग्रेजी की खराब पकड़ को प्रमुख रूप से ज़िम्मेदार पाया गया है।

यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिए प्रासंगिक है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं (अपनी पूरी पीढ़ी में स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति) या ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए जो एक विदेशी भाषा के अपरिचित अवधारणाओं से भयभीत महसूस कर सकते हैं।

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे विभिन्न नियामक निकायों के साथ बातचीत कर रहा है इसलिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो यह देखेगी कि संस्थान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं? भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी अनेक महाविद्यालयों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अलावा, यह विशेषज्ञों के साथ-साथ 10-12 विषयों की पहचान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय भाषा विकास पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ भी कार्य कर रहा है ताकि पुस्तकों का या तो अनुवाद किया जा सके या उन्हें नए सिरे से लिखा जा सके। नियामक संस्था अगले एक वर्ष में विभिन्न विषयों में क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने हेतु प्रकाशन अनुदान प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

संस्थान, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाएंगे अथवा वह अंग्रेजी माध्यम में उन छात्रों को इसे सीखने में सहायता प्रदान करेगा जो किसी क्षेत्रीय भाषा में कुशल नहीं हैं। भविष्य में कक्षाओं में देखे जाने वाले वास्तविक समय के अनुवादों को सक्षम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित तकनीक उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2022 मातृभाषा को बढ़ावा देने पर ज़ोर देती है जो कम से कम पाँचवीं या आठवीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए और उसके बाद इसे एक भाषा के रूप में पेश किया जाना चाहिए। भारत में क्षेत्रीय भाषाएं विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भाषाई विविधता को बनाए रखने और समाज के सांस्कृतिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए आधिकारिक भाषाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन अत्यंत आवश्यक है।

क्षेत्रीय भाषा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तारित किया जा सकता है :

सांस्कृतिक पहचान : भारत में क्षेत्रीय भाषाएं विशिष्ट क्षेत्रों या समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और पहचान से निकटता से जुड़ी हुई हैं। वे अद्वितीय रीति-रिवाजों, परंपराओं, लोक कथाओं, साहित्य और मौखिक इतिहास को संरक्षित और प्रसारित करते हैं जो किसी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में योगदान करते हैं।

संचार और समावेशन : क्षेत्रीय भाषाएं उन लाखों लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में काम करती हैं जो आधिकारिक या राष्ट्रीय भाषा में पारंगत नहीं हो सकते हैं। वे स्थानीय समुदायों के भीतर प्रभावी संचार को सक्षम बनाते हैं, सामाजिक सामंजस्य और समावेशन को बढ़ावा देते हैं।

शिक्षा और साक्षरता: अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में सीखना शिक्षा और साक्षरता के लिए लाभकारी साबित हुआ है। जब बच्चों

को उस भाषा में पढ़ाया जाता है जिसे वे अच्छी तरह से समझते हैं तो वे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, यह शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा के महत्व में से एक है। क्षेत्रीय भाषा निर्देश भी स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने में मदद करता है और द्विभाषावाद या बहुभाषावाद के विकास को प्रोत्साहित करता है।

आर्थिक विकास : क्षेत्रीय भाषा का एक महत्व यह है कि यह विशिष्ट क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में भूमिका निभाती है। यह स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन और सांस्कृतिक उद्योगों को सुविधा प्रदान करता है जो क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास और वृद्धि में योगदान देता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व : विविध भाषाई समुदायों वाले देशों में क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देने और बढ़ावा देने से विभिन्न क्षेत्रों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। भारत में क्षेत्रीय भाषाएं स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती हैं, उन्हें शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आवाज़ देती हैं।

भाषाई विविधता का संरक्षण: क्षेत्रीय भाषाएं किसी देश या क्षेत्र की भाषाई विविधता का प्रतिनिधित्व करती हैं। मानव भाषाओं की समृद्धि को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की रक्षा और प्रचार करना आवश्यक है।

भावनात्मक जुड़ाव : भारत में क्षेत्रीय भाषाएं अक्सर बोलने वालों के बीच अपनेपन, भावनात्मक लगाव और गर्व की भावना पैदा करती हैं। वे किसी की जड़ों, विरासत और स्थानीय समुदाय के साथ गहरा संबंध बढ़ाते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान को मजबूत करते हैं।

शिक्षा के लिए आसान संचार : शिक्षा में एक औद्योगिक पैमाने पर संरचित होने का अजीब विरोधाभास है जबकि यह अभी भी प्रकृति में गहराई से व्यक्तिगत है। यह विद्यार्थियों के बीच सोच में बेमेल पैदा करता है, विशेषकर उन लोगों के बीच जो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ सहज नहीं हैं। क्षेत्रीय भाषा, शिक्षक द्वारा छात्र की मातृभाषा में विषय का वर्णन करके इस अंतर को संबोधित कर सकती है ताकि छात्र मुख्य धारणा को समझ सकें और परीक्षा में इसे अपने शब्दों में दोहरा सकें। एक अतिरिक्त भाषा जानना आप जितनी अधिक भाषाएं जानते हैं, उतने अधिक लोगों के साथ आप प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होंगे।

आज पूरी दुनिया में अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद हिंदी तीसरी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। अतः अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब देश के प्रधानमंत्री हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसमें भाषाई भावुकता का पुट नहीं होता बल्कि भाषाई गौरव की महक होती है परंतु भारत में हिंदी को लेकर अक्सर विवाद पैदा हो जाता है जो पूर्णतः निरर्थक है क्योंकि हिंदी विश्व की सर्वाधिक सरल और वैज्ञानिक भाषा है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में अनेक प्रांतीय भाषाएं हैं और सैकड़ों बोलियां हैं कन्नड़ से लेकर तेलगू, तमिल, मलयालम, बांग्ला, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमी, मणिपुरी, कश्मीर डोगरी व उर्दू आदि। किसी भाषा को जानने या न जानने से कोई शर्म की बात नहीं है लेकिन अधिक संपूर्ण और समग्र सर्वांगीण शिक्षा के लिए जितनी संभव हो उतनी भाषाएं जानना बेहतर होगा। बहुत पहले साम्यवादी विचारों के पोषक विद्वान डॉ. रामविलास शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी 'भारत की भाषा समस्या'। इस पुस्तक में रामविलास जी ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी का मित्रभाव सिद्ध किया था और विभिन्न शब्दों के लेन-देन की प्रक्रिया को बताया था। यहां तक कि नागा व कोल बोलियों और भाषाओं के बीच भी आंतरिक संबंध दिखाया था। डॉ. शर्मा द्वारा स्थापित यह अवधारणा तथ्यों पर आधारित थी और वस्तुपरक भी थी। हिंदी की स्वीकार्यता किस प्रकार उत्तर से लेकर दक्षिण तक स्वतःस्फूर्त भाव से आम जनता में रची बसी है इसके उदाहरण भी हमें एक नहीं बल्कि हजारों मिल जाएंगे।

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं देश के सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं और निभाती रहेंगी। इनमें लोगों को एक साथ लाने और उन्हें एक-दूसरे से बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद करने की क्षमता है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में गहरे संबंध हैं और इनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं हैं। भाषाएं, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में कार्य करती हैं। इनमें से कई भाषाएं एक ही सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी होती हैं और विभिन्न रंग, संगीत और कला रूपों को प्रकट करती हैं। भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है। यह रुकना नहीं जानती, यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़कर आगे निकाल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का परस्पर गहरा संबंध हमारे समाज में एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं।

-अधिकारी
अलीगढ़ शाखा, उत्तर प्रदेश

हिंदी माह 2024

बैंक के प्रधान कार्यालय में 14 सितंबर, 2024 से 13 अक्तूबर, 2024 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया। साथ ही बैंक के समस्त आंचलिक कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा-2024 मनाया गया। इस दौरान कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को लेकर सकारात्मक, प्रेरणात्मक व प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से ऑन-लाइन तथा ऑफ-लाइन माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें एक अखिल भारतीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता भी शामिल थी। प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में कुल 601 कार्मिकों ने सहभागिता की।

स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम

क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय मुंबई में आयोजित कार्यक्रम

हिंदी माह 2024

कॉर्पोरेट कार्यालय दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम

गीत - गायन प्रतियोगिता

हिंदी काव्य-पाठ प्रतियोगिता

भारत की राजभाषा
- हिंदी का ऐतिहासिक विमर्श

यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी

हिंदी का इतिहास ही भारत का इतिहास है। हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार, गार्सा द तासी (फ्रेंच विद्वान) कृत 'इस्तवार द ला लितेरात्यूर ऐंदुई ऐंदुस्तानी' (फ्रेंच भाषा में, 1839 में मुद्रित), मौलवी करीमुद्दीन कृत तजकिरा-ऐ-शुअराई (1848 में मुद्रित), शिवसिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज (1883 में मुद्रित), जार्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिट्रैचर ऑफ़ हिन्दोस्तान (1888 में मुद्रित), एडविन ग्रीव्स कृत ए स्कैच ऑफ़ हिंदी लिट्रैचर (1917 में मुद्रित), एफ. ई. के. महोदय कृत ए हिस्ट्री ऑफ़ हिंदी लिट्रैचर (1920 में मुद्रित), रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास (1929 में मुद्रित), मिश्र बंधु कृत मिश्र बन्धु विनोद (चार भागों में) भाग 1, 2 और 3 (1913- 1914 में मुद्रित) भाग 4 (1934 में मुद्रित), रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (1938 में मुद्रित), बाबू गुलाब राय कृत हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1938 में मुद्रित, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका (1940 में मुद्रित); हिंदी साहित्य का आदिकाल (1952 में मुद्रित); हिंदी साहित्य :उद्भव और विकास (1955 में मुद्रित), हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास (सोलह खण्डों में) - 1957 से 1984 ई० तक, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा कृत हिंदी साहित्य (तीन खण्डों में), डा० मोहन अवस्थी कृत हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास 1970 में मुद्रित, डॉ० नगेन्द्र कृत हिंदी साहित्य का इतिहास (1973 में मुद्रित); हिंदी वाङ्मय 20वीं शती, रामस्वरूप चतुर्वेदी कृत हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास (1986 में मुद्रित), बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, (1996 में मुद्रित), राजेंद्र प्रसाद सिंह कृत हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास (2009 में मुद्रित) आदि विद्वानों ने अपने-अपने समय में हिंदी का क्रमबद्ध इतिहास लिख कर हिंदी को आदि से अद्यतन प्रासंगिक रखा है।

भाषा प्रकृति के संरक्षण में अंकुरित होती है। प्रकृति की सयानी उंगली थामकर अबोध तोतली **जुबान** में भाषा अपने बचपन जीते हुए बड़ी होती है, जो प्रौढ़ हो कर फिर बूढ़ी हो जाती है। फिर एक दिन इसी प्रकृति में समाहित हो जाती है। भाषा की आयु, सभ्यता के उत्थान और पतन पर निर्भर करता है। सभ्यता के उजड़ते ही भाषा भी बिखर जाती है और नई सभ्यता के साथ एक नए आवृत्त में आकार ले लेती है। यही भाषा ऊसल जमीन, उर्वर भूमि आदि मिट्टी का पता बताती है। उन्नीसवीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, बीसवीं शताब्दी अमेरिका ने अपने नाम लिखा। **अंग्रेजी** '**ए** फॉर एप्पल से आरंभ होकर **जेड** फॉर ज़ीरो' तक जाती है, जबकि हिंदी '**अ** के अनपढ़ से शुरु होकर **ज्ञ** के ज्ञानी' तक ले जाती है। हम पूरब के लोग जो सदियों से दुनिया को नित्य सूर्योदय सौंपते हुए इक्कीसवीं शताब्दी को भारत के नाम लिख रहे हैं। इसका रास्ता हिंदी से होकर ही निकलता है।

हिंदी विमर्श

पूर्णत: वैदिक शब्द **हिन्द** ऋग्वेद, अथर्ववेद, बृहस्पति-आगम, भविष्यपुराण, कालिकापुराण, वृद्धस्मृति, मेदिनी-तन्त्र, मेदिनी-कोष, मेरु-तन्त्र, शब्दकल्पद्रुम-कोष, अद्त-कोष, राम-कोष, हेमन्त, कवि-कोष, शार्ङ्गधर-पद्धति, माधवदिग्विजय, पारिजातहरण–नाटक आदि में सन्निहित है।

हिन्द शब्द का मूल **ऋग्वेद** और **अथर्ववेद** में है-

गोवर्णनपरक "हिं-कृण्वन्ती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात् ।
दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय॥"

(ऋग्वेद 1.164.27 अथर्ववेद 9.10.5)

इस मंत्र में पूर्वार्द्ध का आदिम "हिं-कृण्वन्ती" में प्रयुक्त "हिं" और उत्तरार्द्ध "दुहामश्विभ्यां पय:" का आदिम "दु" अक्षर मिलकर हिन्द होता है। जिसका अर्थ 'गोभक्त' होता है। हिङ्कार -गोवंश का द्योतक है। "हिङ्कार करने वाली गोमाता को दुहने वाला हिन्द (गोभक्त) कहलाता है।" हिंकार (हिं) दुहना (दु)। दृतिकण्ठ (गलकम्बल) तथा ककुद (कुबर) युक्त जो गाय है वही वेदलक्षणा गोमाता है। वही हिङ्कार करती है, हिङ्कार करने वाली गोमाता को दुहने वाला **हिन्द** है।

भविष्यपुराण में सिन्धुस्थान- आर्यों का राष्ट्र कहा गया है, जो हिन्दस्थान फिर हिन्दस्तान हो गया।

बृहस्पतिआगम में 'हि' मालय से 'इन्द' सरोवर- कन्याकुमारी तक देवनिर्मित भूभाग 'हिन्दस्थान' कहा गया है। इसमें परम्परा से निवास करने वाले और उनके वंशधर **हिन्द** है।

ईसा की सातवीं शताब्दी, सम्राट हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री **हुएन सांग** (635—-643 ई०) ईसा की सातवीं शताब्दी में भारत आया, जो लगभग 8 वर्ष तक भारत में रहा और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक की यात्राएं कीं तथा जिसके यात्रा वर्णन प्रमाणित माने जाते हैं। इस भिक्षु यात्री के यात्रा वृतांत में 'हिन्द' शब्द का उल्लेख मिलता है जो तत्कालीन भारत में प्रचलित था। एक स्थान पर उल्लेख करता है कि हिन्द शब्द वास्तव में इन्द है, जो चीनी भाषा में इन्तू कहा जाता है, जिसका अर्थ चाँद है। जब सारी पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ था, आकाश के तारों की मध्यम सी झलक इस अंधकार को न हटा सकती थी, तब इस देश ने पृथ्वी पर चांद के समान प्रकाश फैला दिया। इसलिए यहां के रहने वालों को इंदू (हिंदू) कहते हैं और इस देश का नाम हिंदुस्तान है।

हिन्द शब्द का एक धर्म के अर्थ में प्रयोग सातवीं शताब्दी के चीनी बौद्ध विद्वान जुआनजंग (Xuanzang) का इन्-तू के रूप में विवरण है। उन्होंने इसका उल्लेख चन्द्रमा के नाम पर आधारित एक देश के बारे में विवरण करते हुए किया।

सातवीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में रचित **मेरुतन्त्र** में हिन्द शब्द का उल्लेख है :

हिन्दूधर्मप्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनः ।
हीनं च दूषयत्येष हिन्दरित्युच्यते प्रिये ॥

कालिका पुराण में {दसवीं शताब्दी के राजा रत्नपाल (920-960 ई°) का उल्लेख है, अतः यह इससे पूर्व का नहीं हो सकता} :

कलिना बलिना नूनमधर्माकलिते कलौ ।
यवनैर्घोरमाक्रान्ता हिन्दवो विन्ध्यमाविशन् ॥

रामकोश में हिन्द शब्द की व्याख्या

हिन्दर्दुष्टो ना भवति नानार्यो न विदूषकः ।
सद्धर्मपालको विद्वान् श्रौतधर्मपरायणः ॥"

अर्थात जो दुष्ट नहीं, अनार्य नहीं, विदूषक नहीं, जो सत्य और धर्म का पालन करने वाला विद्वान तथा वेदधर्म का परायण हो।

हेमन्तकविकोश में "हिन्दर्हि नारायणादिदेवताभक्तः" तथा **अद्तरूपकोश** में "हिन्दर्हिन्दश्च पुंसि द्वौ दुष्टानां च विघर्षणे ।" कहा गया है।

हुएनसांग से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व **यूनानी** आये। इटली (रोम) के महानतम कवियों में शुमार **पब्लियस वर्जिलियस मारो (वर्जिल)** जिनका कालखण्ड ईसा पूर्व 15 अक्तूबर, 70 – से ईसा पूर्व 21 सितम्बर, 19 तक था, उन्होंने भारत का वर्णन **इन्द (Ind)** नाम से किया।

यूनानियों से पहले ईरानियों का गहन संबंध भारत से था। ईरानियों के धर्म ग्रन्थ जेंद अवेस्ता में भारत के लोगों के लिए **हिन्द धर्म** उल्लिखित है। धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए उल्लेखनीय प्राचीन ईरान के हख़ामनी वंश के शासक **डेरियस (दारा) प्रथम** (ई.पू. 522 से 486 ई.पू.) के शिलालेख में भी **हिन्द शब्द** का उल्लेख है। हिन्द शब्द का अभिलेख ईसा पूर्व छठी सदी के **दारियस प्रथम** के **क्यूनीफॉर्म लिपि** में लिखे **पुरानी फ़ारसी भाषा** के **शिलालेख** में मिलता है। यह इस अभिलेख में (ह-इ-दु-उ-श = हिंदूष्) के रूप में अंकित है। इस भाषा में न् को अंकित नहीं किया जाता था। पुरानी फ़ारसी भाषा के अभिलेखों में यह (**हिंदौव**) के रूप में भी मिलता है। दारियस के मिश्र की चित्रलिपि में लिखे इस अभिलेख में यह नाम (ह-न्-द-व-य =हिन्दवी) के रूप में दर्ज है। यह तब सिन्धु घाटी में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त था। **अरबी भाषा** का शब्द (**हिन्दसा**) है जिसका अर्थ है रेखागणित, स्थापत्यविद्या तथा अभियांत्रिकी। इसे उर्दू में अंक के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है।

हिन्द शब्द वैदिक शब्द सप्तसिन्धु के समानार्थक शब्द **अवेस्तन भाषा** के **हप्तहेन्द** — सात बड़ी नदियों वाला स्थान के रूप में मिलता है। सिन्धु नद जो कभी ईरान को भारत से अलग करता था। सिन्धु के इस पार रहने वालों का नाम सिन्धू पड़ गया। **संस्कृत** का **'स'** ईरानी **अवेस्तन भाषा** (पारसियों की भाषा) में **'ह'** से परिवर्तित होकर 'सिन्धु' हिन्धु, फिर 'हिन्द' बन गया।

"पञ्चदसेम् यो अहूरा माज्दा यो **हप्ता हेन्द** आत अहे पैत्यारेम् फ्राकरेन्तात आङ्ग्रो मैन्युश् पौरुमह्रको अरथ्वाच दख्श्ता अरथ्विंचा गरेमौम्।"

— जेंद अवेस्ता फरगर्द 1.18

(अहुरमाज्दा ने पन्द्रहवीं भूमि सप्त-सिन्धु की रचना की किन्तु देवों की करनी आंग्रमेन्यु जो साक्षात मृत्यु है और उसने तेज गर्मी और महिलाओं में विकार उत्पन्न किए।)

स तथा **श** को **'ह'** कहने का उल्लेख भी भारत में प्राचीन काल से मिल जाता है। **पाणिनीयसूत्र** से भी **"स"** को **"ह"** प्राप्त होता है। **चातुर्मास** (चौमासा) का "मा '**स**" को "मा'**ह**"(महीना)। (**चतुर्दश**) "(चौद'**स**')" को "चौद'**ह**"। 69 उन**सत्तर** को उ**न्हत्तर**।

यूनानियों ने **'ह'** को छोड़ दिया, जिस कारण **'हिन्द' 'इन्द'** बन गया। यही **'इन्द'** शब्द **'इन्द' (IND), इण्डिया, इण्डियन** आदि शब्द की जन्म भूमि है। इसे **ग्रीक भाषा** में (**इंदोस**) के रूप में लिया गया तथा यह सिन्धु घाटी तथा उसके पूर्व के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया। इससे **लैटिन** में **Indus (इंदस)** तथा **अंग्रेजी** में **India (इंडिया)** शब्द बने।

भारत पर पहले मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी, जिसने कई बार आक्रमण किए, ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में गजनवी के साथ लगभग सन 1017-20 ईसवी में उसके काफिले में फारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ, विचारक **अबु रेहान मुहम्मद बिन अहमद अल बयरूनी (अल बेरूनी)** भारत आया। भारत में रहते हुए उसने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और सन 1030 ईसवी में **अरबी भाषा** में **किताब उल हिन्द** (**भारत के दिन**) नामक पुस्तक लिखा। भारत पर लिखी इस पुस्तक में अलबरूनी बार-बार उन भारतवासियों को जो कि मुस्लिम नहीं हो हिन्द के नाम से उल्लिखित करते हुए प्रशंसा कर सम्बोधित किया।

तेरहवीं शताब्दी के **पिङ्गल (पुरानी ब्रजभाषा)** में चन्द बरदाई रचित **पृथ्वीराज रासो** में हिन्द शब्द का उल्लेख किया है। इस पुस्तक में पृथ्वीराज हिन्द अधिपति से संबोधित हैं।

"हिंदुवान-थान उत्तम सुदेस। तहँ उदित द्रुग्ग दिल्ली सुदेस।
संभरि-नरेस चहुआन थान। प्रथिराज तहाँ राजंत भान।
संभरि नरेस सोमेस पूत। देवत्त रूप अवतार धृत॥
जिहि पकरि साह साहब लीन। तिहुँ बेर करिय पानीप-हीन॥
सिंगिनि-सुसद्द गुनि चढि जँजीर। चुक्कइ न सबद बेधत तीर॥"

— **पृथ्वीराज रासो (पद्मावती समय)**

पैराडाइज लॉस्ट नामक अमर महाकाव्य के रचयिता अंग्रेज़ी के महान् कवि **जॉन मिल्टन** (1608-1674) ने भी **Ind** नाम से सम्बोधित किया है | हिन्दओं के रक्षक शासकों के रूप में चौदहवीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं के अभिलेखों तथा दानपत्रों में **"हिन्दराय सुरत्राण"** (1352 ई° में हरिहर राय के लिए पहली बार) का प्रयोग किया। इसके उपरान्त **हिन्द** शब्द का धर्म के अर्थ में प्रचलन बढा। **पन्द्रहवीं शताब्दी** में भक्ति आन्दोलन के स्तम्भों **कबीर, विद्यापति** आदि ने **हिन्द** धर्म और तुर्क धर्म का गैर-मुस्लिम तथा मुस्लिम समुदाय के लोगों के अर्थ में प्रयोग किया।

प्रोफेसर तारानाथ ने **वाचस्पत्यम्** में हिन्द शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है :

(हीनं दषयति-दुष + डु पृषोदर) हिन्द¦ पु° हीनं दषयति दुष + डु पृषो°। जातिभेदे।

"पश्चिमाम्नायमन्त्रास्तु प्रोक्ताः पारखभाषया।
अष्टोत्तरशताशीतिर्येषां संसाधनात् कसौ।
पञ्च खानाः सप्तमीरा नव शाहा महाबलाः।
हिन्दधर्मप्रलोप्तारो जायन्वे चक्रवर्त्तिनः।
हीनञ्च दूषयत्येव हिन्दरित्युच्यतेप्रिये!।
पूर्वाम्नाये नवशतं षडशीतिः प्रकीर्त्तिताः।
फिरिङ्गभाषया मन्त्रास्तेषां संसाधनात् कलौ।
अधिपामण्डलानाञ्च सग्रामेष्वपराजिताः।
इरेजा नवषट्पञ्चलण्ड्रजाश्चापि भाविनः" मेरुतन्त्रे।

जो **हिन्द** अर्थात **हिन्दस्तान** का रहवासी हो वह हिंदी। यह नाम हमे **अरबों (मध्यपूर्व के वासियों)** ने दिया था। वे सिंन्धु नदी को **हिन्द** व उसके आगे रहने वालों को **हिन्द** व उनकी भाषा को हिंदी कहते थे। उनके यहां उस काल मे "**स**" का उच्चारण **"ह"** किया जाता था, सो **सिंध** बिगड़कर हो गया **हिंद**, **सिंधी** हो गया **हिंदी** व **सिंधू** हो गया **हिंदू**।

हिंदी शब्द की व्युपत्ति भारत के उत्तर–पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रान्ता उत्तर–पश्चिम सिंहद्वार से ही भारत आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए, वह 'सिंधु' का देश था। ईरान (फ़ारस) के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी 'सिंधु' को 'हिन्द' कहते थे। (सिंधु - हिन्द, स का ह में तथा ध का द में परिवर्तन - पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन)। हिन्द शब्द संस्कृत से प्रचलित है परंतु यह संस्कृत के 'सिन्धु' शब्द से विकसित है। हिन्द से 'हिन्द' बना और फिर 'हिन्द' में फ़ारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय 'ई' लगने से 'हिंदी' बन गया। 'हिंदी' का अर्थ है—'हिन्द का'। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिन्द देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द 'हिंदी की भाषा' के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। उपर्युक्त बातों से तीन बातें सामने आती हैं—'हिंदी' शब्द का विकास कई चरणों में हुआ- सिंधु→ हिन्द→ हिन्द+ई→ हिंदी।

हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यन्त विस्तृत व प्राचीनतम है। भाषा वैज्ञानिक **डॉ० हरदेव बाहरी** के शब्दों में, 'हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरम्भ होता है। यह कहना ही ठीक होगा कि वैदिक भाषा ही हिंदी है। इस भाषा का दुर्भाग्य रहा है कि युग-युग में इसका

नाम परिवर्तित होता रहा है। कभी 'वैदिक', कभी 'संस्कृत', कभी 'प्राकृत', कभी' अपभ्रंश' और अब - हिंदी।'

हिंदी - उद्भव विकास और स्वरूप; अष्टम संस्करण, 1984, पृष्ठ-15

प्रोफ़ेसर महावीर सरन जैन ने अपने "हिंदी-उर्दू का अद्वैत" शीर्षक आलेख में विस्तार से स्पष्ट किया है कि ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता में "स्" ध्वनि नहीं बोली जाती थी। अवेस्ता में "स्" का उच्चारण "ह्" किया जाता था। उदाहरण के लिए संस्कृत के असुर शब्द का उच्चारण अहुर किया जाता था।

अफ़ग़ानिस्तान के बाद की सिन्धु नदी के पार के हिन्दस्तान के इलाके को प्राचीन फारसी साहित्य में "हिन्द" एवं "हिन्दश" के नामों से पुकारा गया है। "हिन्द" के भूभाग की किसी भी वस्तु, भाषा तथा विचार के लिए विशेषण के रूप में "हिंदीक" का प्रयोग होता था। हिंदीक माने हिन्द का या हिन्द की। यही हिंदीक शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक में "इंदिका" तथा "इंदिके" हो गया। ग्रीक से लैटिन में यह "इंदिया" तथा लैटिन से अंग्रेज़ी में "इंडिया" शब्द रूप बन गए। यही कारण है कि अरबी एवं फ़ारसी साहित्य में "हिन्द" में बोली जाने वाली ज़बानों के लिए "ज़बान-ए-हिन्द" लफ्ज़ मिलता है। भारत में आने के बाद मुसलमानों ने "ज़बान-ए-हिंदी" का प्रयोग आगरा-दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली भाषा के लिए किया। "ज़बान-ए-हिंदी" माने हिन्द में बोली जाने वाली जबान। इस इलाक़े के गैर-मुस्लिम लोग बोले जाने वाले भाषा-रूप को "भाखा" कहते थे, हिंदी नहीं।

संस्किरित है कूप जल, भाखा बहता नीर।

-कबीरदास

हिंदी' शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है, उसमें आज के हिंदी प्रदेश/क्षेत्र की 5 उपभाषाएँ तथा 17 बोलियाँ शामिल हैं। बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है।

हिन्दवी को हिन्दई, जबान–ए–हिन्द, देहलवी नामों से भी जाना जाता है। मध्यकाल में मध्यदेश के हिन्दओं की भाषा, जिसमें अरबी–फ़ारसी शब्दों का अभाव है। सर्वप्रथम अमीर ख़ुसरो (1253-1325) ने मध्य देश की भाषा के लिए हिन्दवी, हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देशी भाषा हिन्दवी, हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए एक फ़ारसी–हिंदी कोश 'ख़ालिक बारी' की रचना की, जिसमें हिन्दवी शब्द 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार देशी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है।

रेख्ता (मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी–फ़ारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा, जैसे–मीर, मिर्ज़ा ग़ालिब की रचनाएं)

ब्रजभाषा (प्राचीन हिंदी काल में ब्रजभाषा अपभ्रंश–अवहट्ट से ही जीवन रस लेती रही, ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का 'प्रद्म्न चरित' (1354 ई.) है), **अपभ्रंश** (अवहट्ट की रचनाओं में ब्रजभाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है), **भाषा** को भाखा भी कहा जाता है। विद्यापति, कबीर, तुलसी, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया है। (19वीं सदी के प्रारम्भ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को 'भाषा मुंशी' के नाम से अभिहित करना इसी बात का सूचक है।)

अवधी (अवधी की पहली कृति मुल्ला दाउद की 'चंद्रायन' या 'लोरकहा' (1370 ई.) मानी जाती है, इसके उपरान्त अवधी भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया), **खड़ी बोली** (प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरम्भिक प्रयोगों से उसके आदि रूप या बीज रूप का आभास मिलता है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप सरहपा आदि सिद्धों, गोरखनाथ आदि नाथों, अमीर ख़ुसरो जैसे सूफ़ियों, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाओं में उपलब्ध है) इन रचनाकारों में हमें अपभ्रंश–अवहट्ट से निकलती हुई खड़ी बोली स्पष्टतः दिखाई देती है।

दक्खिनी (मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों के द्वारा फ़ारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, इसे दक्कनी नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में गद्य रचना परम्परा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही है। दक्कनी हिंदी को उत्तर भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी (1688-1741) को है। वह मुग़ल शासक मुहम्मद शाह 'रंगीला' के शासन काल में दिल्ली पहुँचा और उत्तरी भारत में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाया)

खड़ी बोली (तीन शैलियाँ हैं—हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी) **आर्यभाषा**– नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली (जैसे—जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ)। **उर्दू, जबान–ए–उर्दू, जबान–ए–उर्दू–मुअल्ला**—फ़ारसी लिपि में लिखित अरबी—फ़ारसी बहुल खड़ी बोली। **हिन्दस्तानी**— हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप व आमजन द्वारा प्रयुक्त (जैसे–प्रेमचंद की रचनाएं)।

सदस्य : संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति
केंद्रीय वित्त मंत्रालय (राजस्व) भारत सरकार

काव्य-मंजूषा

कहाँ गई बिटिया...

दादी मैं जल्द ही ऊपर से किताब लेकर आती हूं
आकर तुमको अपने किस्से-कहानियां सुनाती हूं।

भैया! आप आज फिर मेरे लिए टॉफी लाए हो?
किसने कहा कि आप मेरे अपने नहीं, पराए हो?

अरे! ऐसे मुझे हर जगह क्यों छू रहे हो आप?
घर जाने दो प्लीज मुझे अपनी दादी के पास।

मम्मी पापा आएंगे तो मैं उन्हें सब बताऊंगी
कैसे मुझे परेशान किया, कुछ नहीं छुपाऊंगी।

यहां क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई तो बताए
धुंधला दिखने लगा सब, कुछ समझ न आए।

बहुत दर्द हो रहा है मुझे, पर रो भी नहीं पा रही हूं
हर वार को अपने नन्हे शरीर पर सहे जा रही हूं।

मेरा उघाड़ा कलेवर यूं बेरहमी से मसक रहे हो
पानी की टंकी में भला मुझे क्यों पटक रहे हो?

मेरी दादी जब अभी मुझे ढूंढती हुई आएगी
तो मुझे इस हाल में देख वो दहल ही जाएगी।

माँ तो बस काम पर से अभी आई ही होगी
मुझे घर में न पाकर बहुत ज्यादा घबराई होगी।

खंगाल रही होगी वो मेरे लिए दूर पास की दुनिया
पूछ रही होगी, "कोई तो बताओ कहां गई बिटिया?"

हर संभावित जगह तो पूछ हो ही रही है मेरी
मेरे पापा को अगर पता चला तो खैर नहीं तेरी।

माँ अपनी नन्हीं सी जान को देख सिहर जाएगी
पापा को तो मेरी यह व्यथा बहुत रुलाएगी।

पर इस बात से कुछ अंतर पढ़ता है क्या तुझे?
नहीं तो इतना असहनीय दर्द क्यूं देता तू मुझे।

तेरा हर एक झूठ जल्द ही सबके सामने आएगा
मुझे ऐसे देख कर हर एक मन भर सा जाएगा।

कुछ दिन तो सभी लोग मेरे लिए आंसू बहाएंगे
और फिर निर्भया की तरह मुझे भी भूल जाएंगे।

एक राक्षस फिर किसी को अपना शिकार बनाएगा
हे माधव! दुस्शासन का अंत करने तू धरती पर कब आयेगा?

सुरुचि पीयूष शर्मा
अधिकारी
सिहोर शाखा, भोपाल अंचल

काव्य-मंजूषा

ज़िन्दगी

आरंभ और विराम को फिर से भूलकर उठना चाहता हूं मैं
फिर इक नई अंगड़ाई लेकर तुममें जागना चाहता हूं मैं।

बिना विकल्पों की चाहत लिए तुमकों ढूंढना चाहता हूं मैं
तुम्ही को आखिरी और पहला प्रश्न समझना चाहता हूं मैं।

तुम्ही को कहानी का मुख्य किरदार बनाना चाहता हूं मैं
न जाने तुमपे ही क्यूं आखिरी शब्द लिखना चाहता हूं मैं।

फिर एक नए सलीके से तुमको पढ़ना चाहता हूं मैं
और आंखे मूंद कर तेरे आगोश मे लेट जाना चाहता हूं मैं।

थका भी नहीं, उदास भी नहीं न जाने क्या चाहता हूं मैं
जाना भी नहीं और रुकना भी नहीं कुछ और चाहता हूं मैं।

शायद फिर से इक नई मुक्कमल शुरुआत चाहता हूं मैं
या स्वयं से ही, स्वयं में इक नया बदलाव चाहता हूं मैं।

कुछ कम या ज्यादा खुद से, या तुमसे चाहता हूं मैं
मानों खुदा से खुद को बदलने की इल्तजा चाहता हूं मैं।।

अतुल कुमार
मुख्य प्रबंधक
सेक्टर-44, गुरूग्राम शाखा

आओ बैठो पास मेरे कुछ दिल की बात करें

आओ बैठो पास मेरे, कुछ दिल की बात करें
इक-दूजे की सुनकर बातें, इक नई शुरुआत करें।

न वक्त मिला तुझको, न वक्त मिला मुझको
जिंदगी के जाल ने ऐसा उलझाया
बात होंठों पर थी पर कह ना पाते थे
इक-दूजे को बस देखते रह जाते थे
वक्त मिला है आज, फिर से मुलाकात करें
आओ बैठो पास मेरे, कुछ दिल की बात करें।

वो जीवन में, कुछ बन जाने की चाह निराली थी
चेहरे पर था तेज और गालों पर लाली थी
इतनी जल्दी सब बीत गया, अब क्या जतलाऊँ मैं
इस दौड़-धूप में क्या छूट गया, कैसे बतलाऊँ मैं
आज फिर से हम-तुम, उसी प्यार की बरसात करें
आओ बैठो पास मेरे, कुछ दिल की बात करें।

बच्चों का बचपन देख न पाया
दोस्त- यारों को किया पराया
मात-पिता की कब ढल गई छाया
गीत खुशी के कभी न गाया,
चलो फिर से जीवन की शुरुआत करें
आओ बैठो पास मेरे, कुछ दिल की बात करें।

समिन्दर सिंह
आंचलिक प्रबंधक कोलकाता

हिंदी कार्यशाला

आंचलिक कार्यालय भोपाल

आंचलिक कार्यालय दिल्ली-2

आंचलिक कार्यालय लखनऊ

आंचलिक कार्यालय कोलकाता

आंचलिक कार्यालय पंचकूला

आंचलिक कार्यालय देहरादून

हिंदी कार्यशाला

आंचलिक कार्यालय बरेली

आंचलिक कार्यालय होशियारपुर

आंचलिक कार्यालय गुरुग्राम

आंचलिक कार्यालय नोएडा

आंचलिक कार्यालय पटियाला

स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, नई दिल्ली

प्रेम गलि अति सांकरी

आशीष चतुर्वेदी

प्रेमिका के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। भीतर से आवाज आई 'कौन है?' जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसने कहा 'मैं ही हूँ।' भीतर से उसे जवाब में सुनाई पड़ा, 'यह घर मैं और तू, दोनों को नहीं संभाल सकता' और बंद दरवाजा बंद ही रहा। प्रेमी जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने तप किया, उपवास किए, प्रार्थनाएं कीं। कई दिन-रात जंगल में इसी तरह से गुजारने के बाद वह लौटा और दोबारा उसने प्रेमिका का दरवाजा खटखटाया और फिर वही प्रश्न 'बाहर कौन है?' पर इस बार द्वार खुल गए क्योंकि उसका उत्तर दूसरा था। उसने कहा था, तू ही है।

प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहि

-कबीर दास

मैं के साथ किसी व्यक्ति से क्या वरन किसी दोस्त से भी प्रेम नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रेम तो वहीं द्वार खोलता है जहां 'मैं' नहीं है। अगर कहा कि मैं हूं तो प्रेम द्वार बंद कर लेता है। प्रेम का अर्थ ही है दूसरे से मिलने को राजी हों, दूसरे में पिघलने को राजी हों, दूसरे में लीन हो जाने की तैयारी ही प्रेम है। वहां सीमा हटा लेनी है और मैं सीमा बनाता है।

जीवन में प्रेम और प्यार वास्ताविक सच्चाई है। इसे परिभाषित करना कठिन है लेकिन इसे अपने तरीके से समझाया जा सकता है। प्यार का अर्थ, एक-दूसरे के साथ महसूस की जाने वाली भावनाओं से जुड़ाव है। यह गहरे लगाव, सम्मान, घनिष्ठता, आकर्षण और मोह से संबंधित है। प्यार होने पर परवाह करने और सुरक्षा प्रदान करने की गहरी भावना बनी रहती है। प्यार एक अहसास है जो लंबे समय तक साथ देता है। वह लहर की तरह आकर चला नहीं जाता। प्यार अविवेकी भावना है जिसका कोई आधार नहीं होता। जो सच्चे प्रेमी हैं वे प्रेम की मर्यादा जानते हैं। प्रेम एक ऐसा जज्बा है जो मनुष्य को सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करता है। जो जुनून है उसे हम प्रेम की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जुनून तो किसी को भी किसी भी बात को लेकर हो सकता है। सच्चे प्रेमी अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहते हैं वे उसकी खुशी के लिए जमीन आसमान एक कर सकते हैं। वे हमेशा साथ रहना चाहते हैं। उनके लिए जैसे सारा संसार अपने प्रिय में समा जाता है।

एक माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ स्नेह करती है, वह उस माँ का सच्चा प्रेम है। इसी प्रकार जो भी सच्चे प्रेमी हैं उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। मात्र 'आई लव यू' बोल देना ही किसी से प्रेम नहीं होता, सच्चे प्रेम के लिए जरूरी है व्यक्ति का सम्मान, देखभाल, समर्पण, ये सब ही वास्तविक प्रेम की निशानी है।

सम्मान + ध्यान + विश्वास + समर्थन = प्रेम

अक्सर देखा गया है कि लोग कुछ पल बिताए हुए लम्हों को ही वास्तविक प्रेम समझ लेते है या किसी की सुंदरता से आकर्षित होकर या फिर व्यक्तित्व से प्रभावित होने को ही सच्चा प्यार मानते है, परंतु इसे प्रेम नहीं कहते बल्कि इसे लालसा, आकर्षण या पसंद करना कह सकते हैं जो प्रेम से अलग है। यदि आपके प्रेमी/प्रेमिका में सम्मान, विश्वास, देखभाल, समर्थन, समर्पण, स्वीकरण, बुरे समय व कठिन परिस्थितियों में साथ और स्वतंत्रता जैसे गुण है तो आप इस दुनिया के भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं।

पर क्या सभी प्रेमी अपने साथी के साथ प्रेम की ताकत बनाए रखते हैं? बहुत से लोग प्यार का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनकी नजर धन-दौलत, शरीरिक संबंध या अपने फायदे पर ही रहती है। अगर प्रेम इतिहास पर नजर डालें तो बहुत से प्रेमी-प्रेमिका मिल जाएंगे जैसे लैला-मजनू, हीर-रांझा, सोहणी-महिवाल आदि। इन सभी ने प्रेम में अपना परिचय दिया है पर प्रेम की निश्चित परिभाषा कोई नहीं दे पाया। ऐसा शायद इसलिए भी हुआ कि ये लोग प्रेम की महान अनुभूति से ओत-प्रोत थे, इसलिए ये उसे सीमित शब्दों में

बांधना नहीं चाहते थे। वे प्रेम के असीम अहसास को सिर्फ महसूस करना चाहते थे। एक विचारक के अनुसार 'प्यार एक भूत की तरह है जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं पर इसके दर्शन बहुत कम लोगों को होते हैं।' प्रेम एक-दूसरे के प्रति समान समर्पण से जुड़ा होता है। यहां कोई छोटा-बड़ा या गरीब-अमीर नहीं होता जबकि आज तेजी से बदलते तकनीकी और औद्योगिक परिवेश में प्रेम के अर्थ और रूप भी बदल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन-मूल्य और सोच-विचार बदल रहे हैं। पर प्रश्न यह है कि क्या स्त्री या पुरुष प्रेम के प्रति ईमानदार हैं?

कई लोगों ने अपने संपूर्ण जीवन के लिए एक साथी के साथ रहने का निर्णय ले लिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यदि आप प्रेम के प्रति सच्चे बने रहते हैं तो एक व्यक्ति के साथ रहते रहना सुंदरतम बात है क्योंकि घनिष्ठता विकसित होती है लेकिन निनयानबे प्रतिशत संभावनाएं तो यही है कि वहां कोई प्रेम नहीं होता, केवल आप साथ-साथ रहते हैं और साथ-साथ रहने से एक प्रकार का संबंध विकसित हो जाता है जो कि केवल साथ-साथ रहने से बन गया है, प्रेम के कारण नहीं बना है। इसे प्रेम समझने की गलती न करें। किंतु यदि ऐसा संभव हो जाए, यदि आप एक व्यक्ति से प्रेम करें और उसके साथ पूरा जीवन रहते हैं तो एक गहरी घनिष्ठता विकसित होगी और प्रेम आपके लिए गहनतर और गहनतर रहस्योद्घाटन करेगा। जब तक प्रेम जारी है, उसमें बने रहें और जितना संभव हो सके उतनी गहराई से प्रतिबद्ध रहें। जितनी समग्रता से संभव हो सके इसमें रहें, संबंध में डूब जाएं। तब प्रेम आपको रूपांतरित कर पाने में समर्थ हो जाएगा किंतु यदि प्रेम नहीं है तो परिवर्तन कर देना बेहतर है।

किसी स्त्री या पुरुष के साथ जिससे आपको प्रेम नहीं है, चलते मत जाएं। खोजें, क्या किसी व्यक्ति के साथ प्रतिबद्ध रहने की आकांक्षा आप में जाग चुकी है। क्या गहरा संबंध बनाने के लिए आप पर्याप्त रूप से परिपक्व हैं? क्योंकि यह संबंध आपके सारे जीवन को बदलने जा रहा है और जब आप संबंध बनाएं तो इसको पूरी सच्चाई से बनाएं।

अपनी प्रेयसी या अपने प्रेमी से कुछ भी मत छिपाएं, ईमानदार बनें। उन सभी झूठे चेहरों को गिरा दें जिनको पहनना आप सीख चुके हैं, सभी मुखौटे हटा दें, सच्चे हो जाएं, अपना पूरा हृदय खोल दें। दो प्रेम करने वालों के बीच में कोई रहस्य नहीं होना चाहिए, वरना प्रेम नहीं है। सारे भेद खोल दें, रहस्य रखना राजनीति है। प्रेम में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो कुछ भी आपके हृदय में उठता है उसे प्रेयसी के लिए स्पष्ट रूप से पारदर्शी होना चाहिए। आपको एक-दूसरे के प्रति दो पारदर्शी अस्तित्व बन

जाना चाहिए। धीरे-धीरे आपको दिखाई पड़ेगा कि आप एक उच्चतर एकत्व की ओर विकसित हो रहे हैं। यूं तो जहां प्रेम होता है, वहां तर्क नहीं होता मगर सवाल यह उठता है कि हम जिस प्रेम का उदाहरण देते हैं, उसे वास्तविक रूप में अपनाने से डरते क्यों हैं? अगर हम किसी विचारधारा को मूल रूप नहीं दे सकते तो उसका दुनिया के सामने ढकोसला क्यों करते हैं? अगर प्रेम करना इतना बुरा होता है तो हम लोग अपने घरों में कृष्ण- राधा की पूजा क्यों करते हैं?

हम शायद अपनी व्यावहारिक ज़िंदगी में पति-पत्नी के रिश्ते में भी उसी प्रेम को तलाशते हैं जो राधा-कृष्ण में था, निःस्वार्थ, निश्छल, अलौकिक प्रेम। हमें यह हक नहीं होता कि हम बिना किसी बंधन के अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए तन, मन और धन से समर्पित हो पाएं। हमें यह आज़ादी नहीं होती कि सच्चे मन से किसी को अपना सके। अगर किसी से आपको प्रेम है तो सबसे पहले उसे हासिल करने की सलाह दी जाती है। लोग कहते हैं कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जन्म का बंधन नहीं होता सिर्फ समर्पण होता है, त्याग होता है मगर यह सिर्फ कहने की बातें हैं।

प्रेम की बात हो और वियोग (विरह) की ना हो ये तो संभव ही नहीं। बिना वियोग के प्रेम अधूरा है।अगर प्रेम समुद्र है तो वियोग उस समुद्र की गहराई। जो प्रेमी वियोग के कष्ट से बच गया, वो कभी प्रेम की गहराई में उतरा ही नहीं। जिसमें प्रियतम और प्रेयसी का विछोह रहता है, वह है प्रेम का वियोग पक्ष। यह वियोग देह तथा मन दोनों से ही संबंधित हो सकता है, जिसमें मन की ही सत्ता का विशेष महत्त्व है।

विरह की स्थिति में प्रेम हृदय और मन को पूरे तौर पर घेरे रहता है। इस स्थिति में दोनों देह अथवा मन से किसी कारणवश पृथक रहते हैं; पर उनमें प्रेम के कारण आंतरिक संबंध बना रहता है और वे इच्छा न रखते हुए भी एक-दूसरे को बराबर याद करते रहते हैं। दोनों हृदयों में प्रेम का स्रोत बहता रहता है।

इस तरह विरहावस्था में प्रेम जागृति गति में रहता है और सुषुप्ति में, मिलन की स्थिति में दोनों एक साथ वास करते हैं। अत: उनमें हास-परिहास, विचार-विनिमय और प्रणय वार्ता का क्रम इतना लंबा होता है कि उन्हें प्रेम का अनुभव ही नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में प्रेम का रंग अल्प समय के बाद ही मद्धम पड़ जाता है। सदैव साथ रहने से उनमें अन्य भावना आ जाती है और एक-दूसरे का महत्व कुछ कम होता जाता है। उनमें प्रेम का अंकुर सुप्तावस्था में ही मौजूद रहता है। अतः मिलन को प्रेम की सुषुप्ति कहा गया है।

"मिलन अंत है मधुर प्रेम का,
और विरिह जीवन है,
विरह प्रेम की जागृति गति है,
और सुषप्ति मिलन है।"
"सच्चा प्रेम वही है जिसकी,
तृप्ति आत्म-बालि पर हो निर्भिर।
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है,
करो प्रेम पर प्राण निछावर।।

हालांकि, विरह की पीड़ा से प्रेम बढ़ता है पर इस तरह विरह सहकर प्रेम को बढ़ाने की रुचि किसी की भी नहीं होती पर जिसे हम प्यार करते हैं उसके साथ रहने से हमें खुशी मिलती है, पल भर के लिए हमारी दु:ख व चिंताएं गायब हो जाती हैं। हमारा मन उससे प्रभावित होने लगता है। हम उसके अनुसार आचरण करते हैं जबकि उसके दूर चले जाने से मन में उदासी छा जाती है। जितना ज्यादा हम किसी को महसूस करते हैं, रिश्ते उतना ही मजबूत होते जाते हैं।

हम अपने जीवन के सुख-दुःख व परेशानियों को उसके सामने जाहिर करने लगते हैं और खुद को हल्का महसूस करते हैं। जहां तक दूसरों से मिलने वाली खुशी का सवाल है, यह व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते पर निर्भर करती है लेकिन सच यही है कि जहां प्रेम है, वहीं जीवन का सही रूप है।

-वरिष्ठ प्रबंधक
प्रधान कार्यालय आरटीटीएस कक्ष

माँ

मैंने माँ को हमेशा देखा है
कुछ ना कुछ ना बनाते हुए
पिता जी की चाय बनाते हुए
मेरे लिए पराठे
और बहन की लिए उसका पसंदीदा हलवा।

मैंने माँ को हमेशा देखा है
कुछ ना कुछ करते हुए
आंगन को बुहारते हुए
गाय को रोटी खिलाते हुए
कपड़ो की इस्त्री करते हुए।

मैंने देखा है माँ को
हर मौसम रंग बदलते हुए
गर्मी में पसीने में लथपथ
सर्दी में आधी नींद में ऊंघते हुए
बारिश में टपकती हुई छत के पानी को पोछते हुए।

मैं कभी नहीं देख पाया माँ को
भरपूर नींद सोते हुए
सपनों में टहलते हुए
पूरा खाते हुए
कुछ ना बनाते हुए
और कुछ ना करते हुए।

माँ जीती रही
अपने जीवन का सिर्फ आधा हिस्सा
और उसका आधा हिस्सा
जो हम जीते रहे।

संजीव कनौजिया
अधिकारी
प्रधान कार्यालय ऋण निगरानी विभाग

विशेष उपलब्धियाँ

पंजाब नैशनल बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता वर्ष-2024 में बैंक की शाखा सिद्धार्थ एनक्लेव, नई दिल्ली में पदस्थ सुश्री स्नेहा जायसवाल, प्रबंधक को भाषा वर्ग 'क' में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। 02 अगस्त, 2024 को आयोजित सेमिनार में श्रीमती अंशुली आर्य, सचिव-राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कर कमलों से सुश्री स्नेहा जायसवाल को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

हिंदी प्रशिक्षण समन्वय समिति, भारतीय रिज़र्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के तत्वावधान में केनरा बैंक द्वारा "डिजिटल इंडिया के लिए फिनटेक को बढ़ावा देने में भारतीय भाषाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित अखिल भारतीय सेमिनार में पीपीटी प्रस्तुतिकरण के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग में पदस्थ प्रबंधक (राजभाषा) श्री बिभाष कुमार को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

रवि यादव

बैंकिंग और राजभाषा

- चुनौतियां एवं संभावनाएं

भारत की राजभाषा हिंदी, बैंकिंग जगत में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। हमारे देश में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है। हिंदी भाषा में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, उन लोगों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो पहले बैंकिंग से दूर थे। बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी के बढ़ते उपयोग ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में रोजगार के नए-नए अवसरों का सृजन किया है। हिंदी भाषा जानने एवं समझने वाले व्यक्तियों के लिए बैंकिंग क्षेत्र में अनुवादक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि और अन्य पदों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का उपयोग, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में भी योगदान देता है। यह विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को एक मंच पर लाकर उन्हें बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का योगदान महत्वपूर्ण है। यह ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, रोजगार के अवसरों का सृजन करता है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है और हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देता है। हालांकि, बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुनौतियों का समाधान करना भी आवश्यक है। हिंदी भाषा में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, हमारे सभी ग्राहकों को बैंकिंग प्रक्रियाओं को समझने और उनमें भाग लेने में आसानी प्रदान करती है। बैंकिंग लेनदेन, खाता खोलना, ऋण आवेदन और अन्य बैंकिंग कार्यों के लिए हिंदी भाषा का उपयोग, ग्राहकों को सशक्त बनाता है और उन्हें बैंकिंग प्रणाली में अधिक आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में मदद करता है।

बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी के उपयोग के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें हिंदी भाषा जानने वाले कर्मचारियों की कमी, हिंदी भाषा

में बैंकिंग सॉफ्टवेयर, तकनीकी उपकरणों की कमी और ग्राहकों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता की कमी शामिल हैं। बैंकिंग जगत में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :

- हिंदी भाषा में बैंकिंग सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरणों का विकास करना।
- ग्राहकों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- हिंदी भाषा जानने वाले कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करना।
- सभी कार्मिकों को हिंदी भाषा के अधिकतम प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना।

हिंदी भाषा जानने एवं समझने वाले कार्मिकों की संख्या में वृद्धि एवं विकास करके बैंकिंग जगत में अनेक लाभ लाए जा सकते हैं।

यह संचार, सहयोग और ग्राहक सेवा को सुदृढ़ बनाने में मदद कर सकता है। निम्नलिखित उपायों के माध्यम हिंदी भाषा जानने वाले एवं समझने वाले कार्मिकों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है :

- **हिंदी भाषा कौशल वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना:** जब आप उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कर रहे हों तो उन लोगों को प्राथमिकता दें जिनके पास हिंदी भाषा कौशल है। यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपके पास ऐसे कर्मचारी हैं जो प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
- **हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान करना :** अपने कर्मचारियों को हिंदी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करें। यह उन्हें अपनी हिंदी भाषा कौशल को बेहतर बनाने और अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करेगा।
- **नौकरी विज्ञापनों में हिंदी भाषा की आवश्यकता को शामिल करना :** जब आप नौकरी के लिए विज्ञापन दे रहे हों, तो हिंदी भाषा कौशल को एक आवश्यकता के रूप में सूचीबद्ध करें। यह आपको उन उम्मीदवारों को आकर्षित करने में मदद करेगा जो पहले से ही हिंदी बोलते हैं और लिखते हैं।
- **हिंदी भाषा का उपयोग कार्यस्थल में करना :** कार्यस्थल में हिंदी भाषा का उपयोग करें। आप इसे अपने दैनिक संचार में, अपने दस्तावेजों में और अपनी वेबसाइट पर हिंदी भाषा का उपयोग करके कर सकते हैं।

इन रणनीतियों को लागू करके, हम अपने अपने कार्यस्थल में हिंदी भाषा जानने वाले कार्मिकों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। यह आपके व्यवसाय को कई लाभ प्रदान करेगा। हिंदी भाषा में बैंकिंग सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरणों का विकास बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अंग्रेजी भाषा नहीं बोलते या पढ़ते हैं, जो भारत में बड़ी आबादी का हिस्सा हैं। इसके अन्य लाभ इस प्रकार हो सकते हैं -

- **वित्तीय समावेशन :** हिंदी भाषा में बैंकिंग सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बैंक उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो पहले बैंकिंग सेवाओं तक नहीं पहुंच पाते थे।

- **ग्राहक अनुभव :** यह बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और उपयोग में आसान बनाता है जिससे ग्राहक अनुभव में सुधार होता है।
- **डिजिटल साक्षरता :** यह लोगों को डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानने और इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है।
- **रोजगार :** यह बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है क्योंकि बैंकों को हिंदी भाषा बोलने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कुछ चुनौतियाँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

- **अनुवाद :** बैंकिंग सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरणों को हिंदी भाषा में सटीक और प्रभावी ढंग से अनुवाद करना महत्वपूर्ण है।
- **तकनीकी बुनियादी ढांचा :** हिंदी भाषा में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए बैंकों को अपनी तकनीकी बुनियादी ढांचे में निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- **सरकारी नीतियां :** सरकार, हिंदी भाषा में बैंकिग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना सकती है।
- **बैंकिंग उद्योग की पहल :** बैंक हिंदी भाषा में बैंकिंग सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरणों को विकसित करने में निवेश कर सकते हैं।

- **एनजीओ और गैर-लाभकारी संगठनों की भूमिका :** एनजीओ और गैर-लाभकारी संगठन लोगों को हिंदी भाषा में बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूक करने और उन्हें इन सेवाओं का उपयोग करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ग्राहकों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रणनीतियां:

- **हिंदी भाषा कक्षाएं आयोजित करना :** ग्राहकों को हिंदी भाषा सीखने में मदद करने के लिए विभिन्न स्तरों (शुरुआती, मध्यवर्ती, उन्नत) के लिए कक्षाएं आयोजित करें।
- **ऑन-लाइन शिक्षण सामग्री प्रदान करना :** हिंदी भाषा सीखने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल, ऑडियो पाठ और इंटरैक्टिव अभ्यास जैसे ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराएं।
- **सोशल मीडिया का उपयोग करना :** हिंदी भाषा के महत्व और उपयोगिता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब का उपयोग करें।
- **सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना :** हिंदी दिवस, राष्ट्रीय पुस्तक मेला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके हिंदी भाषा को बढ़ावा दें।
- **विज्ञापन और मार्केटिंग :** हिंदी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन और मार्केटिंग अभियान चलाएं।

- **हिंदी भाषा के उपयोग को व्यवसायों में बढ़ावा देना :** ग्राहकों को हिंदी भाषा में व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें हिंदी भाषा में सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रेरित करें।
- **हिंदी भाषा के उपयोग को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाएं:** ग्राहकों को हिंदी भाषा बोलने और लिखने में आत्मविश्वास महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें हिंदी भाषा के उपयोग के लिए प्रेरित करें।
- बैंकिंग सेवाओं, योजनाओं, ऋणों, बीमा आदि से संबंधित सभी जानकारी हिंदी में उपलब्ध कराना होगा।
- बैंकों की वेबसाइट, मोबाइल एप्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को हिंदी में उपलब्ध कराना होगा।
- हिंदी भाषा में वॉयस-आधारित बैंकिंग सेवाओं को शुरू करना होगा।
- **हिंदी भाषा के उपयोग को व्यवसायों में बढ़ावा देना :** ग्राहकों को हिंदी भाषा में व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें हिंदी भाषा में सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रेरित करें।

राजभाषा कार्यान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग :

- **हिंदी भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करें :** ग्राहकों को हिंदी भाषा में बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए एआई और एमएल तकनीकों का उपयोग किया जाए।
- **हिंदी भाषा एप्स और टूल्स को बढ़ावा :** हिंदी भाषा सीखने और अभ्यास करने में मदद करने के लिए मोबाइल एप्स और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाए।

बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीतियां :

राजभाषा अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन :

- राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। इस अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

- बैंकों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।
- बैंकों में हिंदी अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा।

बैंक के लिए हिंदी में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन:

- बैंक कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना होगा।
- हिंदी में काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना होगा।
- बैंकिंग से जुड़े पाठ्यक्रमों को हिंदी में उपलब्ध कराना होगा।
- बैंकिंग शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में हिंदी भाषा का उपयोग करना होगा।
- विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर बैंकिंग शिक्षा के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तकें और सामग्री उपलब्ध करानी होगी।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक द्वारा उपरोक्त नीतियां बनाई जा सकती हैं। इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन से बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने में मदद मिलेगी। हिंदी भाषा में बैंकिंग सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरणों का विकास बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

-राजभाषा अधिकारी
आंचलिक कार्यालय कोलकाता

राजभाषा उपलब्धि

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक एवं बीमा कंपनी), फरीदाबाद द्वारा सदस्य कार्यालयों के लिए आयोजित राजभाषा उत्कृष्टता पुरस्कार योजना, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक की शाखा अजरौंदा, फरीदाबाद को शाखा कार्यालय श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। छायाचित्र में स्टाफ सदस्यों के साथ शाखा प्रभारी सुश्री सुमन शर्मा दृष्टव्य है।

राजभाषा उपलब्धि

बैंक की शाखा चौपासनी रोड, जोधपुर को नराकास (बैंक) जोधपुर द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2023-24 में शाखा कार्यालय श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार नराकास अध्यक्ष और गृह मंत्रालय-राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र मेहरा के कर कमलों से मुख्य प्रबंधक श्री श्याम लाल जावा ने ग्रहण किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए बैंक की शाखा फाज़िल्का को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फाज़िल्का द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नराकास की छमाही बैठक में यह पुरस्कार शाखा अधिकारी श्री सुमेर कुमार ने प्राप्त किया।

नराकास (बैंक एवं बीमा कंपनी) तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड योजना 2023-24 के अंतर्गत शाखा श्रेणी में बैंक की शाखा तिरुवनंतपुरम को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनांक 30.07.2024 को आयोजित नराकास की छमाही बैठक में नराकास अध्यक्ष प्रदीप के. एस. के कर कमलों से शाखा अधिकारी सुश्री सीना नॉक्स ने उक्त पुरस्कार प्राप्त किया।

राजभाषा उपलब्धि

राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु चंडीगढ़ बैंक नराकास द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2023-24 में बैंक के आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़ को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्य प्रबंधक श्री प्रवीण कुमार तथा वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) सुश्री हरप्रीत कौर ने क्रमशः पुरस्कार व प्रमाण-पत्र ग्रहण किए।

बैंक की मुख्य शाखा सूरत को कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए नराकास (बैंक), सूरत द्वारा आयोजित वार्षिक राजभाषा शील्ड योजना-2024 के अंतर्गत शाखा कार्यालय श्रेणी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। नराकास अध्यक्ष श्री दीपक सिंह चन्देल के कर कमलों से शाखा प्रबंधक श्री नरेन्द्र गजानन रेखाते ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पुणे द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2023-24 में शाखा श्रेणी में बैंक की शाखा एम जी रोड, पुणे को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

मूल तमिल लेख

புத்தக வாசிப்பு ஒரு வாழ்க்கை பகுப்பாய்வு.

ப ஷண்முகம்

நமது நாட்டில் புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கம் மிக மிகக் குறைவாகவே உள்ளது என்பதை புத்தக வாசிப்பு பற்றிய சமீபத்திய ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணத்தினால் நம் நாட்டில் இருந்து போதுமான அளவிற்கு புத்தக வெளியீடுகள் இல்லை என்பதும் நிதர்சனமான உண்மை. 1.42 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட நம் நாட்டில் கடந்த 2023ம் ஆண்டு புள்ளி விபரத்தின் படி உலகம் முழுதிலுமாக பதிப்பிடப்பட்ட 4 கோடி புத்தகங்களில் வெறும் 90000 புத்தகங்களை மட்டுமே வெளியிட்டு நமது இந்தியா ஒன்பதாவது இடத்தைப் பெற்றது. அதில் 26% ஹிந்தியிலும் 24% ஆங்கிலத்திலும் மீதமுள்ளவை இந்தியாவின் மற்ற மொழிகளிலும் பதிப்பிடப்பட்டவை. இங்கிலாந்து, ஜப்பான், ஈரான் மற்றும் பிரான்ஸ் போன்ற பல சிறிய நாடுகள் கூட புத்தக வெளியீட்டில் நம்மைக் காட்டிலும் முன்னணியில் உள்ளன என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. பன்மொழிப் பேசப்படும் பாரதம் என்கிற பெருமை இருப்பினும் ஒரே மொழியைக் கொண்டுள்ள சிறு நாடுகள் புத்தக வெளியீட்டில் முதன்மை பெற்றிருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு நாட்டின் வாழ்க்கைத் தரம், கல்வி, சுய விழிப்புணர்வு மற்றும் கலாச்சாரத்தின் மதிப்பீட்டில் அளவீட்டுக் குறியீடாக அந்நாட்டின் புத்தக வெளியீடு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. புனைக்கதை அல்லாத மற்ற புத்தகங்கள் படிப்பது ஒருவரின் மனதை விரிவுபடுத்தி பண் படுத்துகிறது என்று பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிரூபித்துள்ளனர். அதே நேரத்தில் இலக்கியம் சார்ந்த புனைக் கதைகள் மற்றவரின் உணர்ச்சிகளையும் உள் உணர்வுகளையும் புரிய வைக்கும் தன்மை கொண்டது. மற்றுமொரு ஆய்வின்படி புத்தக வாசிப்பு ஒருவரின் மன அழுத்தத்தை 68% வரை குறைக்கின்றது என்பதும் விஞ்ஞான ரீதியான உண்மையாகும். உறங்குவதற்கு முன் புத்தக வாசிப்புப் பழக்கம் இருக்கும் பட்சத்தில் எந்த ஒருவருக்கும் ஆழ்ந்த அமைதியான உறக்கத்தை அளித்து ஒரு நோயற்ற வாழ்வுக்கான வழி வகுக்கும் என்பது உண்மையே. இத்தகைய புத்தக வாசிப்பு இல்லாத சூழல் ஏற்படக் காரணங்களை ஆராய்ந்தபோது தான் கைபேசியின் கவர்ச்சி மற்றும் அதன் மூலம் கிட்டும் அதி நவீன பயன்பாடுகளே என்பதைக் கூறி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை.

ஏனென்றால் கைபேசி பயனர்களின் எண்ணிக்கையில் சீன நாடு 845.38 கோடி பயனர்களோடு முன்னிலையிலும் நமது நாடு 613.13 கோடி பயனர்களுடன் இரண்டாம் நிலையிலும் உள்ளது. இந்தக் குறியீடு நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ரீதியாக விரும்பத்தக்கது என்கிற போதிலும் மனிதனின் வாழ்வை மனம் மற்றும் உடல் ரீதியாக அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இது வருந்தத்தக்க ஒன்றே. குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே புத்தக வாசிப்பு பழக்கத்தை ஒரு வழக்கமாக ஏற்படுத்துவோம் எனில் நெடு நேரக் கைபேசி புழக்கத்தை நாம் தவிர்க்க முடியும். மேலும் நெடு நேரக் கைபேசி பழக்கத்தினால் விளைகின்ற உடல் மற்றும்

மன நலக் கேடுகளை பற்றிய அறிவுறுத்தல் மிக முக்கியம். பொதுப் போக்குவரத்தில் மட்டுமன்றி தனியார் போக்குவரத்தில் கூட ஒரு சிலரைத் தவிர சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை அதிக அளவில் கைபேசி பயன்பாட்டில் தங்களை மூழ்கடித்து கொள்கிறார்கள் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. இத்தகையதொரு நிலை மாறிட வருங்கால சந்ததியினரை வழி நடத்தும் வகையில் புத்தக வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஏற்படுத்துவதே நம் எல்லோரின் தலையாய கடமை ஆகும்.

அதற்கான ஒரு வழிமுறையாக சின்னஞ்சிறார்களை கவரும் வகையில் புத்தகங்கள் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். சிறு கதைகளின் மூலமாகவும் வண்ணப் படங்களின் உதவியுடனும் அவர்களை ஈர்க்க வேண்டும். இவ்விஷயத்தில் கல்வி ஸ்தாபனங்கள் தங்கள் மாணவர்களை வாரம் ஒரு முறையேனும் புத்தக வாசிப்பை காட்டயமாக்கி அதற்கென ஒரு மதிப்பெண் முறையையும் கொண்டு வரும் பொருட்டு நெடு நேரக் கைபேசி பழக்கம் கணிசமான அளவில் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது. மேற்கூறிய விஷயங்களில் நாம் திறம்பட கவனம் செலுத்துவோம் எனில் புத்தக வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஒரு இயல்பான வழக்கமாக வெகு விரைவில் மாற்ற முடியும். இதுவும் அதுவும் மட்டுமன்றி எதுவும் என்றும் எம்மால் முடியும் என்கிற எழுச்சியுடன் செயல்படத் துவங்குவோம். அந்த முழுமையான மாற்றத்திற்கான வழிமுறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

- அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கான புத்தக வாசிப்புக்கான சூழ்நிலையை உருவாக்குதல்.
- குழந்தைகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு விரும்பியதை வாசிக்க சுதந்திரம் அளித்தல்.
- புத்தக கழகத்தை உருவாக்குதல் மூலம் வாசித்த கருத்துக்களை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்ள உதவுதல்.
- புத்தக வாசிப்பு என்கிற ஒன்றை பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் வாரத்திற்கு இருமுறை ஒரு மணி நேரம் கட்டாயமாக்குதல்.
- இணையதள வழி இல்லாத புத்தக வாசிப்பை மட்டும் ஊக்குவித்தல்.
- இணையதள / டிஜிட்டல் வாசிப்பினால் விளைகின்ற கண் மற்றும் நரம்புத் தளர்ச்சி நோய்கள் பற்றிய விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துதல்.

இத்தகைய முறையைக் கையாண்டு நாம் செயல்படுவோம ஆனால் புத்தக வாசிப்புப் பழக்கம் உறுதியாக மேம்படும் என்பதில் ஐயமில்லை.

- முது நிலை மேலாளர் (ஓய்வு) அலுவல் மொழித் துறை.

रचनाकारों से निवेदन

रचनाकारों से निवेदन है कि बैंक द्वारा प्रकाशित की जा रही हिंदी तिमाही पत्रिका "राजभाषा अंकुर" में प्रकाशन हेतु लेख भेजते समय लेख के अंत में अपना नाम, शाखा/ कार्यालय का पता, मोबाइल नंबर तथा अपना बैंक खाता संख्या (14 अंकों का) व आईएफएससी कोड अवश्य लिखें। इसके साथ ही लेख के संबंध में मौलिकता प्रमाण-पत्र और अपना फ़ोटो भी उपलब्ध कराएं। सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य उपरोक्त के अतिरिक्त अपने घर का पता तथा स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) का भी उल्लेख करें।

-मुख्य संपादक

पुस्तक वाचन-एक विश्लेषण

(मूल तमिल लेख का हिंदी अनुवाद)

-पी षणमुखम

पुस्तक वाचन की आदत पर हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि हमारे देश में पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या बहुत ही कम है। इसी कारण हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में पुस्तक प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। 142 करोड़ से अधिक आबादी वाले हमारे देश में 2023 के आंकडे के अनुसार विश्व भर में प्रकाशित 4 करोड़ पुस्तकों में से केवल 90,000 पुस्तकें ही प्रकाशित हुई और हमें नौवां स्थान प्राप्त हुआ है जिसमें से 26% हिंदी में और 24% अंग्रेजी में है, शेष भारत की अन्य भाषाओं में प्रकाशित हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंग्लैंड, जापान, ईरान और फ्रांस जैसे कई छोटे देश भी पुस्तक प्रकाशन में हमसे आगे हैं। भारत के बहुभाषी देश होने के बावजूद भी यह आश्चर्य की बात है कि पुस्तक प्रकाशन में हम बहुत पिछड़े हैं। किसी देश के जीवन स्तर, शिक्षा, आत्म-जागरूकता और संस्कृति के मूल्यांकन में एक देश का पुस्तक प्रकाशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि गैर-काल्पनिक पुस्तकों के वाचन से व्यक्ति का ज्ञान व्यापक और समृद्ध होता है। साथ ही, कथा साहित्य पढ़ने वाले अन्य लोगों को उनकी अपनी अनुभूतियों और आंतरिक भावनाओं को समझने की प्रवृत्ति होती है। एक और अध्ययन के अनुसार यह भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पुस्तकें पढ़ने से व्यक्ति का तनाव 68% तक कम हो सकता है। यह सच है कि सोने से पहले किताब वाचन की आदत किसी को भी गहरी व आरामदायक नींद दे सकती है और रोगमुक्त जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे गैर-वाचन आदत के वातावरण के पीछे का कारण मोबाइल फोन का आकर्षण और इसके साथ जुड़े हुए अत्याधुनिक एप्लिकेशन हैं।

हाल ही में प्रदान किए गए आंकड़े बताते हैं कि चीन देश तो 845.38 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स के साथ उक्त मामले में अग्रणी है और 613.13 करोड़ यूजर्स के साथ हमारा देश दूसरे स्थान पर है। हालाँकि यह आंकड़ा एक देश की आर्थिक और व्यावसायिक रूप से वांछनीय होने पर भी मानसिक और शारीरिक रूप से हानिकारक है। अगर हम बचपन से ही पुस्तक वाचन की आदत को बनाकर रख लें तो लंबे समय तक के मोबाइल के प्रयोग से बच सकते हैं। लंबे समय तक सेल फोन के इस्तेमाल से होने वाली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पर आम लोगों को अवगत कराना अत्यावश्यक है। यह सच है कि सार्वजनिक और निजी परिवहनों में कुछ लोगों को छोड़कर युवा से लेकर बुजुर्ग तक के लोग मोबाइल फोन के इस्तेमाल में डूबे रहते हैं। ऐसी परिस्थिति से भावी पीढ़ियों को बचाने तथा सही मार्गदर्शन देने के लिए पुस्तक वाचन की आदत को फैलाना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है।

लघु कथाओं के माध्यम से और रंगीन चित्रों की सहायता से पुस्तकें आकर्षक ढंग से डिजाइन किया जाना चाहिए। इस विषय पर और ज़ोर देने हेतु शिक्षण संगठनों द्वारा अपने छात्रों को सप्ताह में कम से कम एक बार किताब की पढ़ाई को अनिवार्य बनाना और इसके लिए एक ग्रेडिंग सिस्टम को लागू करना उचित रहेगा जिससे लंबे समय तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की आदत में काफी कमी आएगी। यदि हम उपरोक्त बिंदुओं पर प्रभावी ढंग से ध्यान दें तो पुस्तक वाचन की आदत को बढ़ा सकते हैं। पुस्तक वाचन की आदत को कायम रखने के लिए हमें निम्नलिखित बिन्दओं पर कार्य करना होगा –

- बच्चों एवं युवा पीढ़ियों के लिए पुस्तक वाचन हेतु सुविधाजनक माहौल बनाना।
- बच्चों एवं युवा पीढ़ियों को अपनी इच्छानुसार पुस्तकें पढ़ने की आजादी देना।
- पुस्तक क्लब बनाकर उसके सदस्यों द्वारा पुस्तकों पर विचारों का आदान-प्रदान करने में एक-दूसरे की मदद करना।
- विद्यालयों और महाविद्यालयों में सप्ताह में दो बार एक घंटे तक पुस्तक वाचन को अनिवार्य करना।
- केवल ऑफ़-लाइन पुस्तक पढ़ने को प्रोत्साहित करना।
- इंटरनेट/ डिजिटल रीडिंग के कारण होने वाली आंखों और तंत्रिका रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

इस प्रकार भिन्न-भिन्न तरीकों को अपनाकर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से पुस्तक वाचन की आदत में वृद्धि होगी।

-सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्वतंत्रता दिवस समारोह-2024

बैंक ने दिल्ली स्थित अपने स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह-2024 मनाया। 15 अगस्त, 2024 को आयोजित समारोह में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साहा ने कार्यपालक निदेशक श्री राजीवा, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अरुण कुमार अग्रवाल तथा अन्य उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा गीत-गायन, कविता पाठ, भांगड़ा, हरियाणवी लोकनृत्य तथा कालबेलिया की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर शीर्ष प्रबंधन द्वारा पौधारोपण भी किया गया।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

PSB UniC
You & I Connected
Mobile & Internet Banking Solution

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

पीएसबी

धन कुबेर

अप्रतिदेय सावधि जमा

7.90%* 555 दिन

7.80%* 999 दिन

न्यूनतम जमा 100.01 लाख

* नियम व शर्तें लागू

1800 419 8300 (टोल फ्री)

हमारा अनुसरण करें @PSBIndOfficial